HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE AND MARKETING DEPARTMENT

Notification

The 9th October, 1998

No. G.S.R. 10/Const./Art. 309/98.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Horticultural Department (Group A) Service, namely:-

PART1-GENERAL

Short title:

1. (1) These rules may be called the Haryana Horticultural (Group A) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions:

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(c) "Government "means the Haryana Government in the Administrative Department;

(d) "Institution" means,-

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(e) "recognised university" means,--

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be recognized university for the purpose of these rules;

(f) "Service" means the Haryana Horticultural (Group A) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts:

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to , or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service:

4(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,--

(a) a citizen of India; or
(b) a subject of Nepal; or
(c) a subject of Bhutan; or
(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No Person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, who is less than twenty one years or more than thirty-five years of age on or before the first days of the next preceding the last date of submission of application to the Commission provided that maximum age limit for the official of Haryana Government, Horticulture Department is relaxable upto forty five years.

Appointing authority:

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications:

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment;

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications:

8. No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment:

9.(1) Recruitment to the Service shall be made--

(a) In the case of Director,--.

(i) by promotion from amongst the Joint Directors, or any equivalent post; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or Government of India; or any faculty member of any recognised Agriculture University

(b) In the case of Joint Director,--

(i) by promotion from amongst the Deputy Directors; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or Government of India;

(c) In the case of Deputy Director,--

(i) $66\frac{2}{3}\%$ by promotion from amongst the District Horticulture Officer, Superintendent Horticulture Pinjore and Kishanpura (Jind), Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist and State Sericulture Officer; and

(ii) $33\frac{1}{3}$% by direct recruitment.

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions, in respective cadres.

Probation:

10. (1)Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that:-

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no reason who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--

(i) revert him to his former post; or
(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of period of probation of a person, the appointing authority may,-

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy;

or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation period satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if this work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,--

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post, or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period or probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority inter se of the members of the services shall be determined by the length of the continuous Service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by the direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of a member appointed by the promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the order member shall be senior to the younger member.

Liability to Serve:

12.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,-

(i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority of university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (ii) or clause (iii) except with his consent.

Departmental Examination:

13.(1) Unless exempted by the Government, every member of the Service shall be required to pass the departmental examination in Accounts and various other rules as shown in Appendix E within the period of probation, with credit:

Provided that no officer who has been promoted will be required to pass the departmental examination, if he had passed the same with credit during his Group B Service:

Provided further that the Government may for reasons to be recorded in writing extend the period for passing the departmental examination by one year:

Provided further that if the officer fails to pass the departmental examination even within the extended period the Government may for reasons to be recorded in writing exempt such officer from passing the said examination.

(2) If a member of the Service passes the departmental examination before the prescribed period, he shall be given all the increments which would have otherwise fallen due to him at the end of the prescribed period of probation with effect from the last day on which the departmental examination was completed. This advantage will not be of cumulative nature and later increments will be due to him only on the dates on which they would have otherwise become due.

(3) No increment shall be withheld untill the period prescribed for clearing the departmental examination is over.

(4) If a member of the Service passes the departmental examination after the prescribed period, then the increment for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed, shall be released to him from the date following the last day on which departmental examination was completed. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due, but no arrears shall be paid for the past period.

(5) If a member of the Service fails to pass the departmental examination and is subsequently exempted by the competent authority from passing the examination, his increment (s) for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed shall be released from the date he is given such exemption. The increment (s) shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due, but no arrears shall be paid for the past period.

(6) If the officer neither passes the departmental examination within the prescribed period or extended period nor the Government exempts him from passing such examination, his services shall be terminated if anointed by direct recruitment or he shall be reverted to his former appointment if appointed otherwise.

Pay, leave, pension and other matters:

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, Penalties and Appeals:

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to provisions of any law or rules under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2)The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination:

16. Every member of the Service shall get himself vaccinated or re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance:

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recording in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision:

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations:

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and savings:

21. The Punjab Agricultural Service (Class-I) Rules, 1947, or an other rule applicable to the Service corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX-A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1.	Director of Horticulture	-	1	1	Rs. 15,100-400-18,300
2.	Joint Director of Horticulture	-	3	3	Rs. 10,000-325-15,200
3	Deputy Director of Horticulture	-	2	2	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500

APPENDIX-B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	**2**	**3**	**4**
1.	Director of Horticulture	-	(i) Five years experience as Joint Director; or any other equivalent post. (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard.
2.	Joint Director of Horticulture	-	(i) Five years experience as Deputy Director or any other equivalent post. (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard.
3	Deputy Director of Horticulture	(a) 2nd Class M.Sc. in Horticulture from a recognised university or institution; (b) Five Years practical experience in horticulture research or extension or both, after acquiring the minimum basic qualification; and (c) Hindi up to Matric standard.	(i) Five years experience as District Horticulture Officer or Superintendent Horticulture, Pinjore and Kishanpura (Jind) or Vegetable Specialist or Floriculturist or State Sericulture Officer. (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard.

APPENDIX-C [See rule 15(1)]					
Sr. No.	**Designation of posts**	**Appointing Authority**	**Nature of penalty**	**Authority empowered to imposed penalty**	**Appellate authority**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Director of Horticulture	Government	**(1)Minor Penalties--** (i) Warning with a copy on the personal file (Character Roll); (ii) withholding of promotion; (iii) censure; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company, and association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set	Government	-
2.	Joint Director of Horticulture				
3	Deputy Director of Horticulture				

			up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and (v) Withholding of increments of pay without cumulative effect; ***(2) Major penalties*** (i) withholding of increments of pay with cumulative effect; (ii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (iii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the		

			promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (iv) compulsory retirement (v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; (vi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX-D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Director of Horticulture	(1) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (2) terminating the appointment of member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	-
2.	Joint Director of Horticulture			
3.	Deputy Director of Horticulture			

APPENDIX-E

(See rule 13)

DEPARTMENTAL EXAMINATION

SYLLABUS:

(i) Introduction to Government Audit and Accounts Chapter 1, 2, 6, 10 to 20 and 21.

(ii) Punjab Civil Services Rules, Vol. I, Part-I Chapters I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIV and XV.

(iii) Punjab Civil Services Rule Vol.II, Chapters I to VII, IX to XII of Part-I, Chapter XIII of Part-II.

(iv) Punjab Civil Services Rules, Vol. III (Whole of it).

(v) Financial Hand Book No. I Treasury and Sub-treasury S.T.R. Volume I (Whole of it) Volume II, Chapter II, III, IV (4.1 to 4.81 and 4.168 to 4.181) and Appendices B and C).

(vi) Punjab Financial Hand Book No. II Volume I, Chapter I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XVIII, XIX, XX.

(vii) Punjab Financial Hand Book No. 2 Volume II Appendices 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 and 19.

(viii) Punjab Budget Manual, Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13,14, and 15 paragraph 15.5.

(ix) Accounts code Volume I, Chapter 3, 4, 5 and 11.

(i)	Number of question papers	------one
(ii)	Maximum marks	------120
(iii)	Minimum qualifying marks	-----50%(with credit)
(iv)	Time allowed	-----3 hours
(v)	Time and date for examination	------As fixed by the Government from time to time.

NASEEM AHMAD,

Commissioner and Secretary to
Government Haryana Horticulture
and Marketing Department.

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE AND MARKETING DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 5th April, 2001

In the Haryana Government, Horticulture and Marketing Department, notification No. G.S.R. 10/Art.309/98, dated the 9th October, 1998, published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 27th January, 1999, in its authorised English translation, in the Haryana Horticulture (Group A) Service Rules, 1998, in rule 9, in sub-rule (1), in clause (a).

for "(ii) by transfer or deputation of any officer already in the service of any State Government or the Government of India; or any faculty member of any recognised Agriculture University.",

read "(ii) by transfer or deputation of any officer already in the service of any State Government or the Government of India; or any faculty member of any recognised Agriculture University in the rank of professor in the discipline of Horticulture/ Floriculture."

NASEEM AHMAD,
Commissioner and Secretary to
Government Haryana Horticulture
and Marketing Department.

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 28th July, 2011

No. G.S.R.7/Const/Art.309/2011.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Horticulture (Group A) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Horticulture (Group A) Service (Amendment) Rules, 2011.
2. In the Haryana Horticulture (Group A) Service Rules, 1998, (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub rule (1), for sub-clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

   "(a) in the case of Director General.-

   (i) by promotion from amongst the Additional Director or Joint Director or any equivalent post; or

   (ii) by transfer or deputation of any officer already in the service of any State Government or the Government of India or any faculty member of any recognized Agricultural University in the rank of Professor in the discipline of Horticulture/Floriculture;

   Note:- The Government shall have the discretion to appoint Director General, by promotion or by transfer or deputation.

   (aa) in the case of Additional Director by promotion from amongst he Joint Director or any officer holding equivalent post in Horticulture Department;".

3. In the said rules, in Appendix A, for serial number 1 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
"1	Director General	1	-	1	37400-6700 plus Rs.10000/- Grade Pay

1A	Additional Director	-	1	1	Rs.15600-39100 plus Rs.8000/- Grade Pay.”.

4. In the said rules, in Appendix B, for serial number 1 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
“1	Director General	-	By Promotion— (i) Ten years experience as Joint Director or ten years combined experience as Additional Director and Joint Director; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education. By Transfer- (A) for officers of State Government or Government of India- (i) M.Sc. (First Class) in Horticulture from recognized university or institution; (ii) Three years experience as Director Horticulture; (B) Faculty member- (i) Professor of Horticulture/ Floriculture of a recognized Agricultural University. (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.
1A	Additional Director	-	(i) Five years experience as Joint Director or on any equivalent post; (ii) Hindi upto Matric standard or higher education.

5. In the said rules, in Appendix C and D, under columns 1 and 2 for serial number 1 and entries thereagainst, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2
“1	Director General
1A	Additional Director.”

ROSHAN LAL,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Agriculture Department.

हरियाणा सरकार

उद्यान एवं विपणन् विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अक्तूबर, 1998

संख्या सा.का.नि.10/संविधान/अनुच्छेद/309/98............–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप–क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भती तथा उनकी सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः––

भाग 1–– (सामान्य)

संक्षिप्त नामः

1. (1) ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप–क) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

(2) ये उनके राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएंः

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था।

(ड़) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरुप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्व–विद्यालय;

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हा;

(च) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप क) सेवा।

भाग II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुपः

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगेः

परन्तु, इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बनाने से सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवार की राष्ट्रिक्ता, अधिवास तथा चरित्रः

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न होः––

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत या शरणार्थी, जो पहली जनवरी 1962, से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो; या

(ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, यूगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड़) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग द्वारा संचालित परीक्षा, साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारो से चरित्र प्रमाण–पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से उससे भली–भांति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु:

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व मास के प्रथम दिन को या उससे पहले इक्कीस वर्ष की आयु से कम और पैंतिस वर्ष की आयु से अधिक का हो:

परन्तु हरियाणा सरकार, उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष तक होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी:

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

अर्हताएं:

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में और सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी अर्हताओं में आयोग के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्गो में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएं:

8. कोई भी व्यक्ति,––

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की इस संबंध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंगः

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,:––

(क) निदेशक की दशा में,––

(i) संयुक्त निदेशकों या इसके समकक्ष पद पर कार्य करने वाले अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा; या

(iii) किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय की फेकलटी के सदस्यों में से जो उद्यान/फूलों के विषय में प्रोफैसर के स्तर का हो;

(ख) संयुक्त निदेशक की दशा में,––

(i) उप निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा;

(ग) उप–निदेशक की दशा में,–

(i) $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत जिला उद्यान अधिकारी, अधीक्षक, पिंजौर और किशनपुरा (जीन्द), फल विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, फूल विशेषज्ञ और राज्य रेशम अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, अपने अपन संवर्ग में, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षाः

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु,–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ही; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रुप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रुप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,––

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
(ii) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्त अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियक्त प्राधिकारी,––

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो, ––

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,––

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्ध तथा शर्त अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा–अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिविक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जायेगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता कम को बदला नहीं जायेगा;

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निश्चित की जायेगी,––

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपने पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व:

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने का दायी होगा:

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:–

(i) कोई कंपनी, संगम या व्याष्टि–निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी संगम या व्यष्टि निकाय, चाह वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रति–नियुक्त नहीं किया जायेगा।

विभागीय परीक्षाः

13. (1) जब तक सरकार द्वारा छूट नहीं दे दी जाती, सेवा के प्रत्येक सदस्य से, परिवीक्षा अवधि के भीतर परिशिष्ट ड में तथा विनिर्दिष्ट लेखा और विभिन्न अन्य नियमों में विभागीय परीक्षा केडिट सहित, पास करनी अपेक्षित होगीः

परन्तु किसी भी अधिकारी से, जो पदोन्नत किया जाता है विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि उसने अपनी ग्रुप ख सेवा के दौरान उसे केडिट सहित पास कर लिया हैः

परन्तु यह और कि सरकार, ऐसे लिखित रुप में कारण अभिलिखित करते हुए, विभागीय परीक्षा पास करने के लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ा सकती हैः

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, बढाई गई अवधि के भीतर भी विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो, सरकार, लिखित रुप में कारण अभिलिखित करते हुए ऐसे अधिकारी को उपरोक्त परीक्षा पास करने से छूट दे सकती है।

(2) यदि, सेवा में नियुक्त कोई सदस्य विहित अवधि से पहले विभागीय परीक्षा पास कर लेता है, तो उसे सभी वेतनवृद्धियां जो उसे विहित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, उसे अन्यथा देय होती, अन्तिम तिथि से जिसको विभागीय परीक्षा समाप्त होती है। यह लाभ संचयी प्रकृति का नहीं होगा और बाद वाली वेतनवृद्धियां उसे केवल उस तिथि को देय होंगी जिसको वे अन्यथा देय होनी थी।

(3) कोई भी वेतनवृद्धि तक तक नहीं रोकी जाएगी जब तक विभागीय परीक्षा पास करने के लिए विहित अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।

(4) यदि सेवा का कोई सदस्य विहित अवधि के बाद विभागीय परीक्षा पास करता है, तब उससे पश्चातवर्ती अवधि के लिए वेतनवृद्धि जिसके भीतर विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, अन्तिम दिन जिसको विभागीय परीक्षा पूरी की जाती है से अगली तिथि से दे दी जाएगी। वेतनवृद्धि उस तिथि से जिसको वह अन्यथा देय थी भूतलक्षी प्रभाव से दे दी जाएगी, किन्तु पिछली अवधि के लिए किसी बकाया का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

(5) यदि सेवा का कोई सदस्य, विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है और तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा पास करने से छूट दे दी जाती है, तो उससे पश्चातवर्ती अवधि के लिए जिसमें विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, उसकी वेतनवृद्धिया उस तिथि से दी जाएंगी जिससे उसे ऐसी छूट दी गई है। वेतनवृद्धियां उस तिथि से जिसको वह अन्यथा देय थी भूतलक्षी प्रभाव से दे दी जायेंगी, किन्तु पिछली अवधि के लिए किसी बकाया का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

(6) यदि, कोई अधिकारी, विहित अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा पास नहीं करता और न ही सरकार, ऐसी परीक्षा पास करने के लिए उसे छूट देती है तो, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी; या यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, उसकी पूर्व नियुक्ति पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले:

14. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिसका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रिंत होंगे जा सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलें:

15. (1) अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे:

परन्तु ऐसी शस्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसे शस्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विर्निदिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम–9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना:

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करें, टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा।

राज्य निष्ठा की शपथ:

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देन की शक्ति

18. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्धः

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन और शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है।

आरक्षण

20. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो; भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगीः

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्तिः

21. पंजाब कृषि सेवा (श्रेणी–I) नियम, 1947, या इन नियमों में से किसी के अनुरुप सेवा को लागू कोई अन्य नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैंः–

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

कम संख्या	पदनाम	पदों का स्वरुप			वेतनमान (रुपये)
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	निदेशक उद्यान	1	–	1	15100–400–18300
2.	संयुक्त निदेशक उद्यान	–	1	1	10000–325–15200
3.	उप–निदेशक उद्यान	–	2	2	6500–200–850–द.रा.–200–10500

परिशिष्ट ख (देखिए नियम 7)			
कम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	निदेशक उद्यान	––	(i) संयुक्त निदेशक या इसके समकक्ष के रुप में पांच वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2.	संयुक्त निदेशक उद्यान	––	(i) उप–निदेशक या समकक्ष के रुप में पांच वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
3.	उप–निदेशक उद्यान	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय संस्था से	(i) जिला उद्यान अधिकारी या अधीक्षक उद्यान, पिन्जौर और

		उद्यान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर; (ख) न्यूनतम मल अर्हता प्राप्त करने के पश्चात उद्यान अनुसंधान या विस्तार या दोनों में पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; और (ग) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	किशनपुरा (जीन्द) या फल विशेषज्ञ या सब्जी विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में पांच वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

परिशिष्ट ग

[(देखिए नियम–15(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरुप	शस्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक उद्यान	सरकार	(1) छोटी शस्तियां: (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण–पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार को या किसी ऐसी कंपनी, तथा संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या	सरकार	
2	संयुक्त निदेशक उद्यान				
3	उप–निदेशक उद्यान				

			अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली, तथा (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना; **(2) बड़ी शस्तियां:** (i) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना; (ii) किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रकम पर अवनित ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं; (iii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी		

			अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा; (iv) अनिवार्य सेवा निवृति; (v) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; (vi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ

[(देखिए नियम–15(2)]

कम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरुप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	निदेशक उद्यान	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुक्षेप सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमीं करने या रोकना; या (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु में होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	—
2	संयुक्त निदेशक उद्यान			
3	उप–निदेशक उद्यान			

परिशिष्ट ड़

[(देखिए नियम–13]

विभागीय परीक्षा

1. पाठ्यकमः

(i) सरकारी संपरीक्षा तथा लेखों का परिचय अध्याय 1,2,6,10 से 20 तथा 21
(ii) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द I, भाग–I, अध्याय I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIV और XV
(iii) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द II, भाग–I, अध्याय I से VII, IX से XII, भाग–I का अध्याय XIII
(iv) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द III (सम्पूर्ण)
(v) वित्त हस्त पुस्तिका संख्या I, खजाना और उप–खजाना नियम, जिल्द I (इसका पूर्ण भाग) जिल्द II, अध्याय II, III, IV (4.1 से 4.81 और 4.168से 4.181) और (परिशिष्ट ख तथा ग)
(vi) पंजाब वित्त हस्त पुस्तिका संख्या II, जिल्द II, अध्याय I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX
(vii) पंजाब वित्त पुस्तिका संख्या II, जिल्द II, परिशिष्ट 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 और 19
(viii) पंजाब बजट निर्देशिका, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 तथा 15 पैरा 15.5
(ix) लेखा संहिता, जिल्द I, अध्याय 3, 4, 5 और II

(i) प्रश्नपत्रों की संख्या	:	एक
(ii) अधिकतम अंक	:	120
(iii) न्यूनतम अर्हक अंक	:	50 प्रतिशत (सहित) कैडिट
(iv) अनुज्ञात समय	:	3 घण्टे
(v) परीक्षा के लिए तिथि तथा समय	: पर	जैसे सरकार द्वारा समय–समय नियत किया जाये।

नसीम अहमद
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्यान एवं विपणन विभाग।

भाग III

हरियाणा सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जुलाई, 2011

संख्या सा0का0नि0 7/संवि0/अनु0 309/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करे के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. यह नियम हरियाणा उद्यान (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2011 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा उद्यान (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप—नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(क) महानिदेशक की दशा में,—

(i) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक या किसी समकक्ष पद में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय में उद्यान/फलौरीकल्वर डिसिप्लेन में आचार्य की पदवी पर किसी संकाय के सदस्य में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

टिप्पण:— सरकार अपनी स्वेच्छा से महानिदेशक को पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त कर सकती है;'';

''(कक) अपर निदेशक की दशा में, संयुक्त निदेशक या उद्यान विभाग में किसी समकक्ष पद धारित किसी अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा;''।

3. उक्त नियम में परिशिष्ट क में, कम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6

		स्थायी	अस्थायी	कुल	
''1	महानिदेशक	1	—	1	रु 37400—67000 जमा रु 10000 ग्रेड पे
1क	अपर निदेशक	—	1	1	रु 15600—39100 जमा रु 8000 ग्रेड पे।''।

4. उक्त नियमों में परिशिष्ट ख में, कम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
''1	महानिदेशक	—	पदोन्नति द्वारा— (i) अपर निदेशक के रुप में दस वर्ष का अनुभव या अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के रुप में दस वर्ष का संयुक्त अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत। स्थानान्तरण द्वारा— (क) राज्य सरकार या भारत सरकार के अधिकारियों के लिए— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से उद्यान में एम0एससी0 (प्रथम श्रेणी) (ii) निदेशक उद्यान के रुप में तीन वर्ष का अनुभव। (iii) मैट्रिक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत। (ख) फैकलटी सदस्य— (i) किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से

			उद्यान/फलोरीकल्चर आचार्य। (ii) मैट्रिक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।
1क	अपर निदेशक	—	(i) संयुक्त निदेशक के रुप में या किसी समकक्ष पद पर पांच वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।''।

5. उक्त नियमों में परिशिष्ट 'ग' तथा 'घ' में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, कम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः—

1	2
''1	महानिदेशक
1क	अपर निदेशक।''।

रोशन लाल,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE AND MARKETING DEPARTMENT

Notification

The 3rd July, 1998

No. G.S.R. 108/Const./Art. 309/98.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Horticultural Department (Group B) Service, namely:-

PART 1-GENERAL

Short title & Commencement:

1. (1) These rules may be called the Haryana Horticultural (Group B) Service Rules, 1998.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions:

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;

(c) "Government "means the Haryana Government in the Administrative Department;

(d) "recognised university" means,--

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be recognised university for the purpose of these rules;

(e)"Institution" means,-

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(e) "Service" means the Haryana Horticultural (Group B) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts:

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to , or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service:

4(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is:-

(a) a citizen of India; or
(b) a subject of Nepal; or
(c) a subject of Bhutan; or
(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda, Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No Person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, who is less than 21 years or more than 35 years of age. The minimum and maximum age limit will be determined from the last date for the receipt of applications by the Commission:

Provided that maximum age limit for the officials or employees of Haryana Government, Horticulture Department relaxable upto 45 years.

Appointing authority:

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications:

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment, and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment;

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications:

8. No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment:

9.(1) The recruitment to the Service shall be made in case of Superintendent Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore, District Horticulture Officer, Superintendent Horticulture, Kishanpura (Jind), Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculture and State Sericulture Officer;

(i) $66\frac{2}{3}$ % by promotion from amongst Technical Assistant and Horticulture Development Officer; and

(ii) $33\frac{1}{3}$ % by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) As and when any vacancy occurs or is about to occur, unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the method by which the same shall be filled in.

Probation:

10 (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that:-

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, in the case of an appointment by transfer, may, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--

(i) revert him to his former post; or
(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory;

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation period satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if this work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory:-

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post, or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period or probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority *inter se* of the members of the services shall be determined by the length of the continuous Service on any post in the service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by the direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
(c) in the case of a member appointed by the promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred;
(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his

previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to Serve:

12.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,-

(i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or clause (iii) except with his consent.

Departmental Examination:

13.(1) Every officer shall be required to pass the departmental examination as shown in Appendix E in Accounts and various other rules and various other rules within the period of two years if appointed by direct recruitment and within a period of one year if appointed otherwise:

Provided that no officer who has been promoted from Group C Service will be required to pass the departmental examination, if he had passed the same with higher standard during his Group C Service:

Provided further that the Government may for reasons to be recorded in writing extend the period for passing the departmental examination by one year:

Provided further that if the officer fails to pass the departmental examination even within the extended period, the Government may for reasons to be recorded in writing exempt such officer from passing the said examination.

(2) If a member of the Service passes the departmental examination before the prescribed period, he shall be given all the increments which would have otherwise fallen due to him at the end of the prescribed period but were not given due to non passing of departmental examination with effect from the day on which he passed the departmental examination.

(3) In case any officer is allowed extension in the period within which the said examination is required to be passed his increment for the period within which the departmental examination was to be passed, shall be released only from the date when he passes to departmental examination. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due but no arrear shall be paid for the past period.

(4) If any officer falls to pass the departmental examination, and is subsequently exempted by the Government from passing the departmental examination his increment (s) for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed, shall be released from the date he is given such exemption. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due but no arrears shall be paid for the past period.

(5) If the officer neither passes the departmental examination within the prescribed period or extended period nor the Government exempts his from passing such examination, his services shall be terminated if appointed by direct recruitment or he shall be reverted to his former appointment if appointed otherwise.

Pay, leave, pension and other matters:

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or

made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, Penalties and Appeals:

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to provisions of any law or rules under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination:

16. Every member of the Service shall get himself vaccinated or re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance:

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision:

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations:

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings:

21. The Punjab Agricultural Service (Class-II), Rules, 1947, and any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, is here repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX-A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1.	Superintendent, Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore	1	-	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500
2.	District Horticulture Officer	4	14	8	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500
3	Superintendent, Horticulture, Kishanpura (jind)	-	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500
4	Fruit Specialist	-	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500
5	Vegetable Specialist	-	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500
6	Floriculturist	-	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500
7	State Sericulture Officer	-	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500

APPENDIX-B (See rule 9)			
Sr. No.	**Designation of posts**	**Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Superintendent, Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore	(i) 2nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work; (iii) Hindi upto Matric Standard.	BY PROMOTION: Five years experience as Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer. BY TRANSFER OR DEPUTATION: (i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer, (ii) Hindi upto Matric Standard.
2.	District Horticulture Officer	(i) 2nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work;	BY PROMOTION: Five years experience on the post of Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer. BY TRANSFER OR DEPUTATION: (i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer, (ii) Hindi upto Matric Standard.

		(iii) Hindi upto Matric Standard.	
3	Superintendent, Horticulture, Kishanpura (jind)	(i) 2nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work; (iii) Hindi upto Matric Standard.	BY PROMOTION: Five years experience on the post of Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer. BY TRANSFER OR DEPUTATION: (i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer, (ii) Hindi upto Matric Standard.
4	Fruit Specialist	(i) 2nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work; (iii) Hindi upto Matric Standard.	BY PROMOTION: Five years experience on the post of Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer. BY TRANSFER OR DEPUTATION: (i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer, (ii) Hindi upto Matric Standard.

5	Vegetable Specialist	(i) 2nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work; (iii) Hindi upto Matric Standard.	BY PROMOTION: Five years experience as Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer. BY TRANSFER OR DEPUTATION: (i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer, (ii) Hindi upto Matric Standard.
6	Floriculturist	(i) 2nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work; (iii) Hindi upto Matric Standard.	BY PROMOTION: Five years experience as Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer. BY TRANSFER OR DEPUTATION: (i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer, (ii) Hindi upto Matric Standard.
7	State Sericulture Officer	(i) 2nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with	BY PROMOTION: Five years experience as Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer. BY TRANSFER OR DEPUTATION: (i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District

		Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work; (iii) Hindi upto Matric Standard.	Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer, (ii) Hindi upto Matric Standard.

APPENDIX-C

[See rule 15(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority
1	Superintendent, Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore	Government	**(1)Minor Penalties--** (i) Warning with a copy on the personal file (Character Roll); (ii) Censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or State Government or to a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of	Government	-
2	District Horticulture Officer				
3	Superintendent, Horticulture, Kishanpura (jind)				
4	Fruit Specialist				
5	Vegetable Specialist				
6	Floriculturist				
7	State Sericulture Officer				

			the Legislature of a State; (v) withholding of increments of pay without cumulative effect; ***(2) Major penalties*** (i) withholding of increments of pay with cumulative effect; (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the		

			Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (iv) compulsory retirement (v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; (vi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX-D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Superintendent, Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore	(1) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (2) terminating the appointment otherwise than on attaining the age fixed for superannuation.	Government	-
2	District Horticulture Officer			
3	Superintendent, Horticulture, Kishanpura (jind)			
4	Fruit Specialist			
5	Vegetable Specialist			
6	Floriculturist			
7	State Sericulture Officer			

APPENDIX-E

(See rule 13)

DEPARTMENTAL EXAMINATION

SYLLABUS:

(i) Introduction to Government Audit and Accounts Chapter 1, 2, 6, 10 to 20 and 21.

(ii) Punjab Civil Services Rules, Vol. I, Part-I Chapters I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIV and XV.

(iii) Punjab Civil Services Rule Vol.II, Chapters I to VII, IX to XII of Part-I, Chapter XIII of Part-II.

(iv) Punjab Civil Services Rules, Vol. III (Whole of it).

(v) Financial Hand Book No. I, Treasury and Sub-treasury S.T.R. Volume I (Whole of it) Volume II, Chapter II, III, IV (4.1 to 4.81 and 4.168 to 4.181) and Appendices B and C.

(vi) Punjab Financial Hand Book No. II Volume I, Chapter I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XVIII, XIX, XX.

(vii) Punjab Financial Hand Book No. II, Volume II Appendices 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 and 19.

(viii) Punjab Budget Manual, Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13,14 & 15, paragraph 15.5.

(ix) Accounts code Volume I, Chapter 3, 4, 5 and 11.

(i)	Number of question papers	------one
(ii)	Maximum marks	------120
(iii)	Minimum qualifying marks	-----40%Higher Standard
(iv)	Time allowed	-----3 hours
(v)	Time and date for examination	------As fixed by the Government from time to time

NASEEM AHMED
Secretary to Government, Haryana
Horticulture Department, Chandigarh.

हरियाणा सरकार

उद्यान तथा विपणन् विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जुलाई, 1998

संख्या सा.का.नि.109/संवि./अनुच्छेद/309/98–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप–ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः––

भाग 1–– (सामान्य)

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः

1. (1) ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप–ख) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएंः

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,–

(iv) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
(v) 15 अगस्त 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरुप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र अथवा प्रमाण–पत्र की दशा में पंजाब, सिंध अथवा ढाका विश्व–विद्यालय; या
(vi) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हा;

(ड़) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(iii) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
(iv) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था।

(च) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप–ख) सेवा।

भाग II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुपः

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित पद होंगेः

परन्तु, इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्रः

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी 1962, से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, युगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया होः

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

आयुः

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम और ब्यालिस वर्ष की आयु से अधिक हो। न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से निश्चित की जायेगीः

परन्तु हरियाणा सरकार उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष तक होगी।

नियुक्ति प्राधिकारीः

7. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएंः

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता होः

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्गो के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएंः

8. कोई भी व्यक्ति,––

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंगः

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगीः——

उद्यान अधीक्षक, यादविन्द्रा बाग, पिंजौर, जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान अधीक्षक, किशनपुरा (जीन्द), फल विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, पुष्प विशेषज्ञ तथा राज्य रेशम अधिकारी की दशा में:—

(iii) $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत तकनीकी सहायकों या उद्यान विकास अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; और,

(iv) $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; अथवा,

(v) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) ज्यों ही कोर्ठ रिक्ति होती है या होने वाली होती है, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चित करेगा कि उसे किस प्रकार से भरा जायेगा।

परिविक्षाः

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई हो अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ही; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि के रुप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रुप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होन पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,––

(iii) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
(iv) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,––

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो, ––

(iv) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
(v) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
(vi) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,––

(iii) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, अथवा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्ध तथा शर्ते अनुज्ञात करे; या
(iv) उसकी परिवीक्षा–अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिविक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठताः

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर, उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जायेगीः

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता कम को परिवर्तित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निश्चित की जायेगी,——

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपने पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्वः

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता हैः—

(iv) कोई कंपनी, संगम या व्याष्टि—निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण हरियाणा राज्य के भीतर, राज्य सरकार के पास है, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय;

(v) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व पर नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है ; अथवा

(vi) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास हो अथवा गैर सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

विभागीय परीक्षाः

13. (1) प्रत्येक अधिकारी से, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, नियुक्ति से दो वर्ष की अवधि के भीतर और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया है तो एक वर्ष की अवधि के भीतर परिशिष्ट ड में यथादर्शित लेखे तथा विभिन्न अन्य नियमों में विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा की जायेगी:

परन्तु कोई अधिकारी जो ग्रुप ग सेवा से पदोन्नत हुआ हो उससे विभागीय परीक्षा पास करने की यदि उसने ग्रुप ग सेवा के दौरान उच्च स्तर के साथ परीक्षा पास कर ली हो, अपेक्षा नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि सरकार कारण लिखकर, विभागीय परीक्षा पास करने की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है:

परन्तु यह और है कि यदि अधिकारी बढ़ाई गई अवधि के भीतर भी विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है, सरकार कारण लिखकर, ऐसे अधिकारी को उक्त परीक्षा पास करने की छूट दे सकती है।

(2) यदि, सेवा का काई सदस्य विहित अवधि से पहले विभागीय परीक्षा पास कर लेता है तो उसे उसकी वे सभी वेतन वृद्धियां उस तिथि से जिससे वह विभागीय परीक्षा पास कर लेता है, दे दी जायेंगी जो विहित अवधि की समाप्ति पर अन्यथा देय हो जाती किन्तु विभागीय परीक्षा पास न कर पाने के कारण उसे नहीं दी गई थी।

(3) किसी अधिकारी की वह अवधि, जिसके भीतर उक्त परीक्षा पास की जानी थी, बढ़ाई जाने की दशा में, उसकी वेतन वृद्धियां उस अवधि के लिए जिसके दौरान विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, केवल उस तिथि से दी जायेगी ज बवह विभागीय परीक्षा पास करता है। वेतन वृद्धि भूतलक्षी प्रभाव से, उस तिथि से जिसको यह अन्यथा देय थी दे दी जायेगी, किन्तु पिछली अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जायेगा।

(4) यदि , कोई अधिकारी विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है, और उसे बाद में सरकार द्वारा विभागीय परीक्षा पास करने की छूट दे दी जाती है, तो जिस अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, उसके बाद की अवधि के लिए उसे वेतन वृद्धि (वृद्धियां) उस तिथि से दे दी जायेगी जिससे ऐसी छूट दी गई हो। वेतन वृद्धि उसे भूलक्षी प्रभाव से उस तिथि से जिसको वह अन्यथा देय थी, दी जाएगी, किन्तु पिछली अवधि के किसी बकाया का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

(5) यदि, कोई अधिकारी, विहित अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा पास नहीं करता और न ही सरकार, ऐसी परीक्षा पास करने की छूट दी जाती है, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले:

14. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिसका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रिंत होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलें:

15. (1) अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे:

परन्तु ऐसी शस्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसे शस्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों में परिशिष्ट ग में विर्निदिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम–9 के अधीन उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना:

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसा निदेश करें, टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा।

राज्य निष्ठा की शपथ:

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति

18. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध:

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है।

आरक्षण

20. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो; भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्तिः

21. पंजाब कृषि सेवा (श्रेणी–II) नियम, 1947, और सेवा को लागू कोई नियम और इन नियमों के आरम्भ होने से तुरन्त पहले सेवा को लागू हों इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं:–

परन्तु इस प्रकार निरक्षित नियमों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

कम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान (रुपये)
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षक उद्यान, यादविन्द्रा बाग, पिंजौर	1	—	1	रुपये6500—200—8500—द.रो. —200—10500
2.	जिला उद्यान अधिकारी	4	14	18	रुपये6500—200—8500—द.रो. —200—10500
3.	उद्यान अधीक्षक, किशनपुरा (जीन्द)	—	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो. —200—10500
4.	फल विशेषज्ञ	—	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो. —200—10500
5.	सब्जी विशेषज्ञ	—	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो. —200—10500
6.	पुष्प विशेषज्ञ	—	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो. —200—10500
7.	राज्य रेशम अधिकारी	—	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो. —200—10500

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

कम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	अधीक्षक उद्यान, यादविन्द्रा बाग, पिंजौर	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या (i) फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर	पदोन्नति द्वाराः तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव।

		या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी.; **(ii)** बागवानी के विकास कार्यों में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; **(iii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2.	जिला उद्यान अधिकारी	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; **(ii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या **(i)** फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी.; **(ii)** बागवानी विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; **(iii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	पदोन्नति द्वाराः तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
3.	उद्यान अधीक्षक, किशनपुरा (जीन्द)	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; **(ii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या **(i)** फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी.; **(ii)** बागवानी विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; **(iii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	पदोन्नति द्वाराः तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, फल विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
4.	फल विशेषज्ञ	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त	पदोन्नति द्वाराः

		विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; या **(ii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या **(i)** फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी. डिग्री; **(ii)** बागवानी के विकास कार्यों में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; **(iii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, फल विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, पुष्प विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
5.	सब्जी विशेषज्ञ	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; **(ii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या **(i)** फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी. डिग्री; **(ii)** बागवानी के विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; **(iii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	पदोन्नति द्वाराः तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव; या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, फल विशेषज्ञ तथा राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
6.	पुष्प विशेषज्ञ	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; **(ii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या **(i)** फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित	पदोन्नति द्वाराः तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव; या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्जी

		बागवानी सहित कृषि में बी.एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी. डिग्री; **(ii)** बागवानी के विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; **(iii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	विशेषज्ञ, फल विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
7.	राज्य रेशम अधिकारी	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; **(ii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या **(i)** फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी.एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी. डिग्री; **(ii)** बागवानी के विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; **(iii)** दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	पदोन्नति द्वाराः तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, फल विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

परिशिष्ट ग

[(देखिए नियम–15(1)]

कम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरुप	शस्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	अधीक्षक उद्यान,	सरकार	(1) छोटी शस्तियांः	सरकार	

<table>
<tr><td></td><td>यादविन्द्रा बाग, पिंजौर</td><td rowspan="8"></td><td rowspan="8">(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण–पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;

(ii) परिनिन्दा;

(iii) पदोन्नति रोकना;

(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या किसी राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय की हुई धन संबंधी हानि की पूरी या उसके भाग को वेतन से वसूली; और
(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;
(2) बड़ी शस्तियां:
(i) संचयी प्रभाव स वेतन वृद्धियां रोकना;
(ii) किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनित ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी</td><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जिला उद्यान अधिकारी</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>उद्यान अधीक्षक, किशनपुरा (जीन्द)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>फल विशेषज्ञ</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>सब्जी विशेषज्ञ</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पुष्प विशेषज्ञ</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>राज्य रेशम अधिकारी</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

			अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं; (iii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा; (iv) अनिवार्य सेवा निवृति; (v) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; (vi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ [(देखिए नियम–15(2)]				
कम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरुप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	अधीक्षक उद्यान, यादविन्द्रा बाग, पिंजौर	(i) पेन्शन के नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुक्षेप सामान्य/अतिरिक्त पेन्शन की राशि में कमीं करने या रोकना; या (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	—
2	जिला उद्यान अधिकारी			
3	उद्यान अधीक्षक, किशनपुरा (जीन्द)			
4	फल विशेषज्ञ			
5	सब्जी विशेषज्ञ			
6	पुष्प विशेषज्ञ			

7	राज्य रेशम अधिकारी			

परिशिष्ट ड़

[(देखिए नियम–13]

विभागीय परीक्षा

1. पाठ्यक्रमः

(x) इंटरोडकक्षन टू गर्वनमैन्ट आडिट एवं अकाऊंट अध्याय 1, 2, 6, 10 से 21
(xi) पंजाब सिविल सेवाएं, जिल्द I, भाग–I, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15
(xii) पंजाब सिविल सेवाएं नियम, जिल्द II, अध्याय 1 से 7, 9 से 12, पार्ट–II का चैप्टर 13
(xiii) पंजाब सिविल सेवाएं, जिल्द III, (इसका पूर्ण भाग)
(xiv) फाईनैंसियल हैंड बुक नं0 1 खजाना और उप खजाना, एस.टी.आर.**I,** जिल्द–**I** (इसका पूर्ण भाग) जिल्द–**II,** अध्याय 2, 3, 4 (4.1 से 4.81 और 4.168 से 4.181) और अपैंडीज बी. और सी.
(xv) पंजाब फाईनैंसियल हैंड बुक नं0 2, जिल्द–I, अध्याय 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
(xvi) पंजाब फाईनैंसियल हैंड बुक नं0 2, जिल्द–II, अपैंडीज 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 और 19
(xvii) पंजाब बजट मैन्यूल चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 से 15 और पैराग्राफ 15.5, ए./सी. कोड वाल्यूम–**I,** अध्याय 3, 4, 5 और 11

(i) प्रश्नपत्रों की संख्या	:	एक
(ii) अधिकतम अंक	:	120
(iii) उतीर्ण अंक	:	40 प्रतिशत (हायर स्टैण्डर्ड)
(iv) स्वीकृत समय	:	3 घण्टे
(v) परीक्षा के लिए तिथि तथा समय	:	जैसे समय–समय पर सरकार द्वारा निश्चित किया जाये।

नसीम अहमद,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्यान एवं विपणन विभाग।

हरियाणा सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मार्च, 2004

संख्या सा.का.नि.9/संवि./अनुच्छेद/309/2004–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप–ख) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 में, नियम 9 में, उप–नियम (1) में,–

(i) उप–खण्ड (i) में, ''$66\frac{2}{3}$ प्रतिशत'' अंको तथा शब्द के स्थान पर, ''50 प्रतिशत'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप–खण्ड (i) में, ''$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत'' अंको तथा शब्द के स्थान पर, ''50 प्रतिशत'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

के0 एस0 भोरिया,
सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्यान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 22nd March, 2004

No. G.S.R. 9/Const./Art. 309/2004.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Horticulture (Group-B) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Horticulture (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2004.

2. In the Haryana Horticulture (Group-B) Service Rules, 1998, in rule 9, in sub rule (1),-

   (i) in sub-clause(i), for the figures and signs "66 $\frac{2}{3}$%"the figures and signs "50%" shall be substituted; and

   (ii) in sub-clause(ii), for the figures and signs "33 $\frac{1}{3}$%"the figures and signs "50%" shall be substituted.

K.S. BHORIA
Secretary to Government Haryana,
Horticulture Department.

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 29th May, 1998

No. G.S.R. 108/Const./Art. 309/98.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Horticultural Directorate (Group B) Service, namely:-

PART1-GENERAL

Short title:

1. These rules may be called the Haryana Horticultural Directorate (Group B) Service Rules, 1998.

Definitions:

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(c) "Government "means the Haryana Government in the Administrative Department;

(d) "Institution not defined" means,-

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination

held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be recognized university

for the purpose of these rules;

(e) “Service”means Haryana Horticultural Directorate (Group B) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts:

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to , or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service:

4(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is :-

(f) a citizen of India; or
(g) a subject of Nepal; or
(h) a subject of Bhutan; or
(i) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
(j) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanziba), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d), and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only

after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No Person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age on or before the last date of submission of application to the Commission or any other recruitment authority.

Appointing authority:

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications:

No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment;

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to full up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications:

8. No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

Shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment:

9.(1) Recruitment to the Service shall be made,-

(a) In the case of Establishment Officer,-.

(i) By promotion from amongst Superintendents; or

(ii) By transfer or deputation of an officer already in the service of any State

Government or Government of India.

Note:- The post of Establishment Officer involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than the post of Superintendent.

(b) In the case of Superintendent,-

(i) By promotion from amongst Deputy Superintendents or Assistants or Senior Scale Stenographers in the office of Director of Horticulture, Haryana; or

(ii) By transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or Government of India.

Promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation:

10 (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and on year, if appointed otherwise:

Provided that:-

(d) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(e) Any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under these rules; and

(f) any period of officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation, but no reason who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

if, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

(c) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and

(d) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-

(iii) revert him to his former post; or

(iv) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of period of probation of a person, the appointing authority may,-

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-

(i) Confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy;

or

(ii) Confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) Declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if this work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period or probation and there after pass such order as it could have past on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority inter se of the members of the services shall be determined by the length of the continuous service or any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(e) A member appointed by the direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(f) A member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(g) In the case of a member appointed by the promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(h) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the order member shall be senior to the younger member.

Liability to Serve:

12.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,-

(i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority of university within the State of Haryana;

(ii) The Central Government or a company, an association or a body of individuals, gather incorporated or not which is wholly or substantially or controlled by the Central Government; or

(iii) Any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii), except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters:

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to provisions of any law or rules under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination:

15. Every member of the service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance:

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recording in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision:

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations:

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and savings:

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, is here repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX-A

(See rule 3)

Sr. No.	**Designation of posts**	**Number of posts**		**Total**	**Scale of pay**
		Permanent	**Temporary**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Establishment Officer	-	1	1	Rs. 6500-200-8500-EB-200-10500
2.	Superintendent	-	3	3	Rs. 6500-200-8500-EB-200-10500

APPENDIX-B (See rule 7)			
Sr. No.	**Designation of posts**	**Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Establishment Officer	**-**	One year experience as Superintendent
2.	Superintendent	**-**	(i) One year experience as Deputy Superintendent; or (ii) Ten years experience as Assistant or Senior Scale Stenographer Provided that the Senior Scale Stenographer should have two years experience as Assistant on part time or full time basis.

APPENDIX-A (See rule 3)					
Sr. No.	**Designation of posts**	**Appointing Authority**	**Nature of penalty**	**Authority empowered to imposed penalty**	**Appellate authority**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Establishment Officer	Government	***(1) penalties***	Government	-
2.	Superintendent	Government	(i) Warning with a copy in the personal file (Character Roll)		
			(ii) censure;		
			(iii) Withholding of promotion;		
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially		

			owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and		
			(v) Withholding of increments of pay without cumulative effect;		
			(2) Major penalties		
			(v-a) withholding of increments of pay with cumulative effect;		
			(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of		

			such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;		
			(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;		
			(viii) compulsory retirement;		

			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government.		
			(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX-D [See rule 14(2)]				
Sr. No.	**Designation of posts**	**Nature of order**	**Authority empowered to imposed penalty**	**Appellate authority**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Establishment Officer	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; Termination the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	-
2.	Superintendent			

NASEEM AHMAD,

Commissioner Secretary to Government, Haryana,

Horticulture and Marketing Department

हरियाणा सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अगस्त, 1998

संख्या सा.का.नि.108/संवि./अनुच्छेद/309/98.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान निदेशालय की हरियाणा उद्यानन निदेशालय (ग्रुप–ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नामः

1. ये नियम हरियाणा उद्यान निदेशालय (ग्रुप–ख) सेवा नियम, 1998 कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएंः

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(v) हरियाणा में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
(vi) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(ङ) ''मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,–

(vii) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय; या
(viii) 15 अगस्त 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरुप प्राप्त उपाधि–पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण–पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(ix) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो,

भाग II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुपः

3. सेवा में इन नियमों परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगेः

परन्तु, इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवार की राष्ट्रिक्ता, अधिवास तथा चरित्रः

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत या शरणार्थी, जो पहली जनवरी 1962, से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक को, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से उसे भली–भांति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

आयुः

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अथवा उससे पूर्व सत्रह वर्ष से कम और पैंतिस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी अर्हतायेंः

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेगी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त क परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हतायें तथा अनुभव न रखता होः

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों के भरने के लिए अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिये जायेंगे।

निर्हतायेंः

8. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की इस संबंध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंगः

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगीः–

(क) स्थापना अधिकारी की दशा में,–

(i) अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पणी– स्थापना अधिकारी के पद के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व अधीक्षक के पद से अधिक महत्व के हैं।

(ख) अधीक्षक की दशा में,–

(iv) हरियाणा, उद्यान निदेशालय के कार्यालय में उप–अधीक्षक अथवा सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा; या

(v) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिविक्षाः

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु,–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ही; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रुप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रुप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(v) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
(vi) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार हो।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,

(vii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी किसी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
(viii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
(ix) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है;या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,–

(v) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्ध तथा शर्ते अनुज्ञात करे।
(vi) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिविक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई, है शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जायेगीः

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निश्चित की जायेगीः–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगो, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्वः

12. (1) सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगीः

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता हैः–

(vii) कोई कंपनी, संगम या व्यांष्टि–निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकारके पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण;

(viii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(ix) कोई अन्य राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्‌टी, पैंशन तथा अन्य मामलेः

13. वेतन, छुट्‌टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिसका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रिंत होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलेंः

14. (1) अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगेः

परन्तु ऐसी शस्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसे शस्तियों लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन

बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विर्निदिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम–9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ध में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवानाः

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करें, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राज्य निष्ठा की शपथः

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्धः

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा, अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगीः

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्तिः

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में किसी के अनुरुप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैंः–

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

कम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	स्थापना अधिकारी		1	1	6500–200–8500–दक्षतारोध–200–10500 रुपये
2.	अधीक्षक		3	3	6500–200–8500–दक्षतारोध–200–10500 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

कम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	स्थापना अधिकारी	–	अधीक्षक के रुप में एक वर्ष का अनुभव;
2	अधीक्षक	–	(i) उप–अधीक्षक के रुप में एक वर्ष का अनुभव, या (ii) सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रुप में 10 वर्ष का अनुभवः

			परन्तु वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को सहायक के रुप में दो वर्ष का अंश कालिक या पूर्ण कालिक अनुभव होना चाहिए।

परिशिष्ट ग

[(देखिए नियम–14(1)]

कम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरुप	शस्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1 2	स्थापना अधिकारी अधीक्षक	सरकार	(1) छोटी शस्तियांः (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण–पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्द; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कंपनी, संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या	सरकार	

			नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना; (2) बड़ी शस्तियां: (i) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना; (ii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रकम पर अवनित ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनित की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं; (iii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान,		

			ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयाः रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा; (iv) अनिवार्य सेवा निवृति; (v) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी; (vi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी।			

परिशिष्ट घ [(देखिए नियम–14(2)]				
कम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरुप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1 2	स्थापना अधिकारी अधीक्षक	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन को राशि में कमी करने या रोकना; (ii) उसकी अधिवर्तिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	–

नसीम अहमद,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्यान एवं विपणन विभाग।

हरियाणा सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मार्च, 2004

संख्या सा.का.नि.9/संवि./अनुच्छेद/309/2004—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:——

3. ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।

4. हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 में, नियम 9 में, उप—नियम (1) में,—

(iii) उप—खण्ड (i) में, ''$66\frac{2}{3}$ प्रतिशत'' अंका तथा शब्द के स्थान पर, ''50 प्रतिशत'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(iv) उप—खण्ड (i) में, ''$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत'' अंको तथा शब्द के स्थान पर, ''50 प्रतिशत'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

के0 एस0 भोरिया,
सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्यान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 22nd March, 2004

No. G.S.R. 9/Const./Art. 309/2004.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Horticulture (Group-B) Service Rules, 1998, namely:-

3. These rules may be called the Haryana Horticulture (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2004.

4. In the Haryana Horticulture (Group-B) Service Rules, 1998, in rule 9, in sub rule (1),-

   (iii) in sub-clause(i), for the figures and signs "66 $\frac{2}{3}$%"the figures and signs "50%" shall be substituted; and

   (iv) in sub-clause(ii), for the figures and signs "33 $\frac{1}{3}$%"the figures and signs "50%" shall be substituted.

K.S. BHORIA
Secretary to Government Haryana,
Horticulture Department.

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE AND MARKETING DEPARTMENT

Notification

The 25th November, 1998

No. G.S.R.11/Const./Art.309/98.--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes by the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Horticultural (Group-C), Service, namely :--

PART-I

GENERAL

Short title and commencement :

1. (1) These rules may be called the Haryana Horticultural (Group-C) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions :

2. In these rules, unless the context otherwise requires :--

(a) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission ;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of Government of India or any State Government ;

(c) "Director" means the Director of Horticulture, Haryana ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) “institution” means, --

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules.

(f) “recognised university” means, --

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;

(g) “Service” means the Haryana Horticultural (Group C) Service.

PART-II

RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts :

3. The Service shall comprise of the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service:

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is, --

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia, with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging in any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age :

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 35 years of age on the last date of submission of application to the Commission.

Appointing authority :

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Director.

Qualification :

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is possession of qualification and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed other than by direct recruitment :

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 per cent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, backward classes, ex-serviceman and physically handicapped categories possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications :

8. No person, --

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt, any person from the operation of this rule.

Method of Recruitment :

9. Recruitment to the service shall be made,--

(a) In the case of Technical Assistant :

(i) by promotion from amongst Horticulture Development Officers ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India;

(b) in the case of Horticulture Development Officer :

(i) 10 per cent by promotion from amongst Horticulture Supervisors :

Provided that if sufficient number of eligible candidates are not available for promotion, such available vacancies may be filled in by direct recruitment:

(ii) 90 per cent by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(c) in the case of Jeep/Car Driver,--

(i) 20 per cent by promotion from amongst the Peons, Malies, Beldars, Fieldmen, Chowkidars or Sweepers; and

(ii) 80 per cent by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India ;

(d) in the case of Truck or Van Driver,--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(e) in the case of Tractor Driver,--

(i) 20 per cent by promotion amongst the Peons, Malies, Beldars, Fieldmen, Chowkidars, Sweepers; and

(ii) 80 per cent by direct recruitment : or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(f) in the case of Horticulture Supervisors,--

(i) 20 per cent by promotion from amongst Fieldmen, Beldars or Malies:

Provided that if sufficient number of eligible candidates are not available for promotion, such available vacancies may be filled in by direct recruitment ; or

(ii) 80 per cent by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Departmental examinations:

10.(1) All the Technical Assistants and Horticulture Development Officers appointed either by promotion or by direct recruitment shall be required to qualify departmental examination in accounts as shown in Appendix E within the period of probation or such other period as the competent authority may decide.

(2) If a person qualifies the departmental examination before the prescribed period, he shall be given all the increments which would have otherwise fallen due to him at the end of the prescribed period with effect from the last day on which the departmental examination was completed.

This advantage shall not be of cumulative nature and the later increments shall be payable only on the date on which they would have otherwise become due.

(3) No increments shall be withheld until the period prescribed for clearing the departmental examination is over.

(4) If a member of the Service qualified the departmental examination after the prescribed period, the increment for the prescribed period subsequent to that within which the departmental examination was to be qualified shall be released from the date following the last day on which the departmental examination is completed. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due, but no arrears shall be paid of the past period.

(5) If a member of the Service fails to qualify the departmental examination or any part thereof, and is subsequently exempted by the competent authority from passing the departmental examination, his increments for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be qualified shall be released from the date he is given such exemption. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due, but no arrears shall be paid for the past period.

Probation:

11. (1) Person appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Provided that,--

(a) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to the appointment to any post in the Service, may in the case of an appointment by

transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count toward the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment in the Service shall be reckoned as a period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work and conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, --

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,--

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation period satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion been not satisfactory,--

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

12. Seniority, *inter se* of the members of the Services shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided, further that in the case of members appointed by direct recruitment the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of a member appointed by promotion by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment and if

the length of such service in also the same, the older member shall be senior to the younger member;

Liability to serve :

13.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Services may also be deputed to serve under:--

(i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana.

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters :

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter, be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline penalties and appeals :

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub rule (1) or rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be such as are specified in Appendix D to these rules.

Vaccination :

16. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

17. Every member of the Service, unless he has already done, so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expendient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions :

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations :

20. Nothing contained in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen Physically Handicapped persons or an other class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time.

Repeal and Savings :

21. The Punjab Subordinate Agricultural Service Rules, 1933 and any other rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Technical Assistant	--	6	6	6,500--200—7,500--EB--200—9,900
2.	Horticulture Development Officer	14	102	116	5,500--175--8,300--EB--175--9,000
3.	Jeep Driver	--	11	11	4,000--100--4,800--EB--100--6,000
4.	Car Driver	1	1	2	4,000--10--4,800--EB-100--6,000
5.	Truck Driver	--	1	1	4,000--10--4,800--EB-100--6,000
6.	Van Driver	--	1	1	4,000--10--4,800--EB-100--6,000
7.	Tractor Driver	--	12	12	4,000--10--4,800--EB-100--6,000
8.	Horticulture Supervisor	--	12	12	3,050--75--3,950--EB--80--4,590

APPENDIX B [See rule 7]			
Sr. No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Technical Assistant	--	by promotion- Five years experience as Horticulture Development Officer. by transfer or deputation- (i) Should be working as Technical Assistant or on any equivalent post, possessing the degree of B.Sc. Agriculture with Horticulture as one of the subjects, or B.Sc. Horticulture from any recognised University; and (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
2	Horticulture Development Officer.	(i) B.Sc. Agriculture (Hons) with Horticulture as one of the subjects or B.Sc. Horticulture, from any recognised University; and (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.	by promotion- (i) Five years experience as Horticulture Supervisor ; (ii) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture as one of the subject or B.Sc. Horticulture, from any recognised University ; (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. By transfer or deputation- (i) Should be working as

			Horticulture Dev. Officer or on any equivalent post, possessing degree of B.Sc. Agriculture with Horticulture as one of the subjects or B.Sc. Horticulture from any recognised University ; and (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
3	Car or Jeep Driver	(i) Middle pass with Hindi ; (ii) Light transport vehicle driving licence; and (iii) three years experience of driving a light transport vehicle.	by promotion- (i) Five years experience as Peon, Mali, Beldar, Fieldman, Chowkidar or Sweeper ; (ii) Middle pass with Hindi; (iii)light transport vehicle driving licence; and (iv)three years experience of driving a light transport vehicle. by transfer or deputation- (i) should be working as Car or Jeep driver; (ii) Middle pass with Hindi ; (iii) Light transport vehicle driving licence ; and (iv) three years experience of driving a light transport vehicle.
4	Truck or Van Driver	(i) Middle pass with Hindi ; (ii) Heavy transport vehicle driving licence; and (iii) three years experience of driving a heavy transport vehicle.	by transfer or deputation- (i) Should be working as truck or van driver ; (ii) Middle pass with Hindi; (iii)heavy transport vehicle driving licence; and (iv)three years experience of driving a heavy transport vehicle.
5	Truck Driver	(i) Middle pass with Hindi ; and (ii) Driving licence of	by promotion- (i) Five years experience as Peon, Mali, Beldar,

		heavy vehicle or tractor with three years experience of driving a heavy transport vehicle or tractor.	Fieldmen, Chowkidar or Sweeper ; (ii) Middle pass with Hindi; and (iii) Driving licence of heavy vehicle or tractor with three years experience of driving a heavy vehicle or tractor. by transfer or deputation-- (i) Should be working as tractor driver ; (ii) Middle pass with Hindi; and (iii) Driving licence of heavy vehicle or tractor with three years experience of driving a heavy vehicle or tractor.
6.	Horticulture Supervisor	(i) 10+2 with Science, preferably with Agriculture as one of the subjects; or one year diploma/certificate in the discipline of Horticulture from any recognised institution after matriculation. (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.	by promotion- (i) Five years experience as Fieldman, Beldar or Mali; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; (iii) One year gardening certificate/diploma from a recognised institution. by transfer or deputation- (i) Should be working as Horticulture Supervisor, possessing 10+2 with Science, preferably with Agriculture as one of the subjects, or one year diploma/certificate from any recognised institution after matriculation; and (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.

APPENDIX C [See rule 15(1)]					
Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Technical Assistant	Director	**(i) Minor Penalties --**	Director	Government
2	Horticulture Development Officer		(i) Warning with a copy in the personal file (character roll);		
3	Jeep Driver				
4	Car Driver		(ii) Censure ;		
5	Truck Driver		(iii)withholding of promotion;		
6 7 8	Van Driver Tractor Driver Horticulture Supervisor		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss, caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of the State ; and (v) withholding of increments of pay without comulative effect.		
			(2) Major Penalties--		

			(vi) withholding of increments of pay with comulative effect ; (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the further increments of his pay ; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ; (ix) compulsory retirement ; (x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ; (xi) dismissal from service which shall ordinarily be		

			a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX D [See rule 15(2)]				
Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Technical Assistant	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Government
2	Horticulture Development Officer.			
3	Jeep Driver			
4	Car Driver			
5	Truck Driver			
6	Van Driver			
7	Tractor Driver			
8	Horticulture Supervisor			

APPENDIX E

(See rule 10)

DEPARTMENTAL EXAMINATION

(1) SYLLABUS :

(i) Introduction to Government Audit and Accounts Chapter 1, 2, 6, 10 to 21.

(ii) Punjab Civil Services Rules, Vol. I, Part-I Chapters I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII, XIV and XV.

(iii) Punjab Civil Services Rule Vol. II, Chapters I to VII, IX to XII of Part-I and Chapter XIII of Part-II.

(iv) Punjab Civil Services Rules, Vol. III (Whole of it).

(v) Financial Hand Book No. I Treasury and Sub-Treasury S.T.R. Volume I (Whole of it) Volume II, Chapter II, III, IV (4.1 to 4.81 and 4.168 to 4.181 and Appendices B and C).

(vi) Punjab Financial Hand Book No. 2 Volume I, Chapters I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.

(vii) Punjab Financial Hand Book No. II Volume II Appendices 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 and 19.

(viii) Punjab Budget Manual, Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 to 15 and paragraph 15.5.

(ix) Accounts Code Volume I, Chapter 3, 4, 5 and 11.

(2)	Number of question papers	..One
(3)	Maximum marks	..120
(4)	Minimum qualifying marks	..33% (Lower Standard)
(5)	Time allowed	.. 3 hours
(6)	Time and date for examination	.. As fixed by the Government from time to time.

H.C. DISODIA,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Horticulture and Marketing Department.

हरियाणा सरकार

उद्यान एवं विपणन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 नवम्बर, 1998

संख्या सा.का.नि 11/संवि./अनुच्छेद/309/98—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान (ग्रुप-II) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः——

भाग 1——सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः

2. (1) ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप—ग) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएंः

5. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,——

(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी व्यक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक उद्यान विभाग, हरियाणा;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(ड) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(vii) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; अथवा
(viii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) ''मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,–

(x) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(xi) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरुप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र (डिप्लोमा) अथवा प्रमाण–पत्र की दशा में पंजाब, सिंध अथवा ढाका विश्व–विद्यालय; या

(xii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के लिए प्रयोजन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो,

(छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप–ग) सेवा।

भाग II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुपः

6. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगेः

परन्तु, इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवार की राष्ट्रिक्ता, अधिवास तथा चरित्रः

7. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी 1962, के प्रथम दिन से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के पूर्वी अफीकी देशों से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया होः

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक को, उसे आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु

नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

आयुः

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को सत्रह वर्ष से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारीः

8. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक, द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएंः

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में सीधी भर्ती तथा से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता होः

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी अर्हत्ताओं में आयोग के विवेक पर, पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्गो में, उनके लिए, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए, लिखित रुप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएंः

8. कोई भी व्यक्ति,––

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की इस संबंध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंगः

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगीः––

(क) तकनीकी सहायक की दशा में,–

(i) उद्यान विकास अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) उद्यान विकास अधिकारी की दशा में,–

(i) 10 प्रतिशत उद्यान सुपरवाईजरों में से पदोन्नति द्वाराः

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पात्र उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो ऐसी उपलब्ध रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती हैं

(ii) 90 प्रतिशत सोधी भर्ती द्वारा; या
(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ग) जीप/कार चालक की दशा में,–

(i) 20 प्रतिशत सेवादारों, मालियों, बेलदारों, फिल्डमैन, चौकीदारों या स्वीपरों में से पदोन्नति द्वारा; और
(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(घ) ट्रक या वैन चालक की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या
(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ङ) ट्रैक्टर चालक की दशा में,–

(i) 20 प्रतिशत सेवादारों, मालियों, बेलदारों, फिल्डमैन, चौकीदारों और स्वीपरों में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(च) उद्यान पर्यविक्षक की दशा में,–

(i) 20 प्रतिशत फिल्डमैन, बेलदारों, मालियों में से पदोन्नति द्वाराः

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पात्र उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों, तो ऐसी उपलब्ध रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती है; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

विभागीय परिविक्षाः

10. (1) पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गये सभी तकनीकी सहायकों और उद्यान विकास अधिकारियों से परिवीक्षा की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के भीतर परिशिष्ट ड़ में यदादर्शित लेखों में विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा की जायेगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकार विनिश्चित करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति विहित अवधि से पहले विभागीय परीक्षा पास कर लेता हैं तो उसे सभी वेतन वृद्धियां दी जायेंगो जो विहित अवधि की समाप्ति पर उसे अन्यथा देय होती, अन्तिम दिन जिसको उसने विभागीय परीक्षा पूर्ण कर ली थी, यह लाभ संचयी प्रकृति का नहीं होगा और उसके बाद की वेतन वृद्धियां उसे केवल उसी तिथि को देय होंगी जिस तिथि को वे उसे अन्यथा देय होती थी।

(3) कोई भी वेतन वृद्धि तक तक नहीं रोकी जायेगी, जब तक कि विभागीय परीक्षा पास करने की विहित अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(4) यदि सेवा का कोई सदस्य विहित अवधि के बाद विभागीय परीक्षा पास करता है तो उससे पश्चात्वर्ती विहित अवधि के लिए वेतन वृद्धि जिसके भीतर विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, अन्तिम दिन जिसको विभागीय परीक्षा पूरी की जाती है, से अगली तिथि से दे दी जाएगी। वेतन वृद्धि उस तिथि से जिसको वह अन्यथा देय थी भूतलक्षी प्रभावी से दे दी जाएगी, किन्तु पिछली अवधि के लिए किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(5) यदि सेवा का कोई सदस्य विभागीय परीक्षा अथवा उसके किसी भाग को पास करने में असफल रहता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय परीक्षा पास करने की पश्चात्वर्ती छूट दी जाती है तो, उससे पश्चात्वर्ती अवधि के लिए जिसके भीतर उसे

विभागीय परीक्षा पास करनी थी, उसकी वेतन वृद्धि उस तिथि से दी जाएगी जिससे उसे ऐसी छूट दी गई है। वेतन वृद्धि उसी तिथि से जिसको यह देय थी भूतलक्षी प्रभाव से दी जाएगी, किन्तु पिछली अवधि के लिए किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

परिविक्षाः

(1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु,–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई हो अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ही; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रुप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रुप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,––

(vii) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(viii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,––

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो, ––

(x) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(xi) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(xii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,––

(vii) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें या;

(viii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिविक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता:

12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जायेगी:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता कम भंग नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निश्चित की जायेगी,––

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और

यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्वः

13. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर, किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगीः

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता हैः–

(x) कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि–निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या

(xi) केन्द्रीय सरकार, या किसी कंपनी संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(xii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामलेः

14. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रिंत होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलेंः

15. (1) अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगेः

परन्तु ऐसी शस्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसे शस्तियों लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विर्निदिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987, के नियम–9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवानाः

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा और जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथः

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति

18. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्धः

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है।

आरक्षण

20. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो; भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा, रियायतों को प्रभावित नहीं करेगीः

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्तिः

21. पंजाब अधीन अधीनस्थ कृषि सेवा नियम, 1933, तथा सेवा को लागू अन्य कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट ''क''

(देखिए नियम 3)

कम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान (रुपये)
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	तकनीकी सहायक	–	6	6	6500–200–8500–द.रो.200–9900
2.	उद्यान विकास अधिकारी	14	102	116	5500–175–8300–द.रो.175–9000
3.	जीप चालक	–	11	11	4000–100–5200–द.रो.100–6000
4.	कार चालक	1	1	2	4000–100–5200–द.रो.100–6000
5.	ट्रक चालक	–	1	1	4000–100–5200–द.रो.100–6000
6.	वैन चालक	–	1	1	4000–100–5200–द.रो.100–6000
7.	ट्रैक्टर चालक	–	12	12	4000–100–5200–द.रो.100–6000
8.	उद्यान पर्यवेक्षक	–	12	12	3050–75–3950–द.रो.80–4590

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

कम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	तकनीकी सहायक	**(i)** तकनीकी सहायक या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उद्यान सहित बी.एस.सी. कृषि या बी.एस.सी. उद्यान की उपाधि रखता हो; **(ii)** मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	पदोन्नति द्वारा– उद्यान विकास अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः (i) तकनीकी सहायक या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उद्यान सहित बी.एस.सी. कृषि या बी.एस.सी. उद्यान कि उपाधि रखता हो; **(ii)** मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का

			ज्ञान।
2.	उद्यान विकास अधिकारी	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उद्यान सहित बी. एस.सी. कृषि (आनर्स) या बी.एस.सी. उद्यान; **(ii)** मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	पदोन्नति द्वाराः **(i)** उद्यान सुपरवाईजर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; **(ii)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उद्यान सहित बी.एस.सी. कृषि या बी.एस.सी. उद्यान की उपाधि रखता हो; **(iii)** मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) उद्यान विकास अधिकारी या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एस.सी. कृषि में उद्यान विषय सहित या बी.एस.सी.उद्यान में डिग्री; **(iii)** मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
3.	कार/जीप चालक	**(i)** हिन्दी सहित आठवीं पास; **(ii)** हल्का परिवहन वाहन चलाने का लाईसैंस; **(iii)** हल्के परिवहन वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव।	पदोन्नति द्वारा– **(i)** सेवादार, माली, बेलदार, फील्डमैन, चौकीदार या स्वीपर के रूप में पांच वर्ष का का अनुभव; **(ii)** हिन्दी सहित आठवीं पास **(iii)** हल्का परिवहन वाहन चलाने का लाईसैंस; और **(iv)** हल्के परिवहन वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वारा:– **(i)** जीप/कार चालक के रूप में कार्यरत; **(ii)** हिन्दी सहित आठवीं पास; **(iii)** हल्के परिवहन वाहन चलाने का लाईसैंस; **(iv)** हल्के परिवहन वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव।
4.	ट्रक/वैन चालक	**(i)** हिन्दी सहित आठवीं पास; **(ii)** भारी परिवहन वाहन चलाने का लाईसैंस; **(iii)** भारी परिवहन वाहन	स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वारा– **(i)** ट्रक/वैन चालक के रूप में कार्यरत; **(ii)** हिन्दी सहित आठवीं पास; **(iii)** भारी परिवहन वाहन चलाने का

परिशिष्ट ग

[(देखिए नियम–15(1)]

कम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरुप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	तकनीकी सहायक	उद्यान निदेशक	**(1) छोटी शस्तियांः** (i) वैक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) उपेक्षा या आदेशों की उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या किसी राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली; और (v) संचित प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना; **(2) बड़ी शस्तियांः** (vi) संचयी प्रभाव से	निदेशक उद्यान	सरकार
2.	उद्यान विकास अधिकारी				
3.	जीप चालक				
4.	कार चालक				
5.	ट्रक चालक				
6.	वैन चालक				
7.	ट्रैक्टर चालक				
8.	उद्यान पर्यवेक्षक				

			वेतन वृद्धियां रोकना; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनित ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसको ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा; (ix) अनिवार्य सेवा निवृति; (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;		

			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ [देखिए नियम–15(2)]					
कम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	तकनीकी सहायक	निदेशक उद्यान	**(i)** पेन्शन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेन्शन की राशि में कमी करना या रोकना; और **(ii)** उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक उद्यान	सरकार
2	उद्यान विकास अधिकारी				
3	जीप चालक				
4	कार चालक				
5	ट्रक चालक				
6	वैन चालक				
7	ट्रैक्टर चालक				
8	उद्यान पर्यवेक्षक				

परिशिष्ट ''ड.''

[(देखिए नियम–10]

विभागीय परीक्षा

1. पाठ्यकमः

(xviii) इंटरोडक्शन टू गवर्नमैन्ट आडिट एवं अकाऊंट अध्याय 1, 2, 6, 10 से 21

(xix) पंजाब सिविल सेवाएं, जिल्द I, भाग–I, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15

(xx) पंजाब सिविल सेवाएं नियम, जिल्द II, अध्याय 1 स 7, 9 से 12, पार्ट–II का चैप्टर 13

(xxi) पंजाब सिविल सेवाएं, जिल्द III (इसका पूर्ण भाग)

(xxii) फाईनैंसियल हैंड बुक नं0 1 खजाना और उप खजाना, एस.टी.आर.I, जिल्द–I (इसका पूर्ण भाग) जिल्द–II, अध्याय 2, 3, 4 (4.1 से 4.81 और 4.168 से 4.181 और अपैंडीज बी. और सी.)

(xxiii) पंजाब फाईनैंसियल हैंड बुक नं0 2, जिल्द–I, अध्याय 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20

(xxiv) पंजाब फाईनैंसियल हैंड बुक नं0 2, जिल्द–II, अपैंडीज 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 और 19

(xxv) पंजाब बजट मैन्यूल चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 से 15 और पैराग्राफ 15.5

(xxvi) ए./सी. कोड वाल्यूम–I, अध्याय 3, 4, 5 और 11

(2)	प्रश्नपत्रों की संख्या	:	एक
(3)	अधिकतम अंक	:	120
(4)	उतीर्ण अंक	:	33 प्रतिशत (लोअर स्टैण्डर्ड)
(5)	स्वीकृत समय	:	3 घण्टे
(6)	परीक्षा के लिए तिथि व समय	:	जैसे समय–समय पर सरकार द्वारा निश्चित किया जाये।

एच0 सी0 दिसौदिया
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्यान एवं विपणन विभाग।

हरियाणा सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जुलाई, 1998

संख्या सा.का.नि.9/संविधान/अनुच्छेद/309/98.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अधीनस्थ उद्यान निदेशालय, लिपिकीय अमला (ग्रुप–ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती ओर सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

भाग I -- सामान्य

संक्षिप्त नाम :

5. ये नियम हरियाणा अधीनस्थ उद्यान निदेशालय लिपिकीय अमला (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं :

6. इन नियमों, में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा ;

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक, उद्यान विभाग, हरियाणा ;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(ix) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(x) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) ''मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,--

(xiii) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(xiv) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरुप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र (डिप्लोमा), या प्रमाण–पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(xv) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ; और

(छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा अधीनस्थ उद्यान निदेशालय लिपिकीय अमला (ग्रुप–ग) सेवा।

भाग II--सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुप :

7. सेवा में इन नियमों परिशिष्ट 'क' में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र :

8. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो, –

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) स संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से, चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अनय जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम अथवा पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक, द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर, पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्ग में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुभव बाते उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिए जायेंगे।

अयोग्यताएं :

8. कोई भी व्यक्ति;--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ;

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :--

(क) उप–अधीक्षक की दशा में,--

(iii) सहायकों या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(iv) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) निजी सहायक की दशा में,--

(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(vii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ग) सहायक की दशा में,--

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, लिपिकों, आशुटंककों, में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(घ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,--

(i) कनिष्ठ आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ङ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,--

(i) आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(च) आशुटंकक की दशा में,--

(i) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(छ) लिपिक की दशा में,--

(i) 20 प्रतिशत निदेशालय के रैस्टोररों, सेवादारों, चौकीदारों तथा सफाई कर्त्ताओं में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पणी–1 :

लिपिक पद के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व रैस्टोरर से अधिक महत्व के हैं।

(ज) रैस्टोरर की दशा में,--

(i) सेवादारों, चौकीदारों तथा सफाई कर्त्ताओं में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) जब सेवा में कोई रिक्ति होती है या होने वाली हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाये यह निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जायेगी।

(3) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्य या अपेक्षित न हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु ;--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरुप या, उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रुप में गिनी जायेगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रुप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--

(ix) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(x) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्यवाही कर सकता है उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,--

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,--

(xiii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(xiv) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(xv) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण, उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--

(ix) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूव पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(x) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग रूप से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता कम भग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निश्चित की जायेगी,--

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, यदि उनके सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को, सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,--

(xiii) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय;

(xiv) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(xv) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर–सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले :

13. छुट्टी, वेतन, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रिंत होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियों और अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर यथासंशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसे शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वह होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप–नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति यथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां तक सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्धः

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्ते लगाना उचित समझें, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति :

20. पंजाब अधीन कृषि सेवा नियम, 1933 और सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कारवाई इन नियमों के अनुरुप उपबंधों के अधीन किया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)					
कम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	उप–अधीक्षक	--	1	1	5500--175--8300--दक्षतारोध--175--9000 रुपए।
2	निजी सहायक	--	1	1	5500--175--8300--दक्षतारोध--175--9000 रुपए जमा 150 रूपए विशेष वेतन।
3	सहायक	--	7	7	5500--150--7100--दक्षतारोध--150--7850 रुपए।
4	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	--	1	1	5500--150--7100--दक्षतारोध--150--7850 रुपए।
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	--	2	2	4000--100--4800--दक्षतारोध--100--6000 रुपए।
6	आशुटंकक	--	4	4	3050--75--3950--दक्षतारोध--80--4590 रुपए जमा 100 रूपए विशेष वेतन।
7	लिपिक	--	8	8	3050--75--3950--दक्षतारोध--80--4590 रुपए।
8	रैस्टोरर	--	2	2	3050--75--3950--दक्षतारोध--80--4590 रुपए।

परिशिष्ट ख (देखिए नियम 7)			
कम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव,

		कोई हो	यदि कोई हो
1	2	3	4
1	उप–अधीक्षक	--	(i) सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव, जिसमें सहायक के पद पर दो वर्ष का कार्य शामिल हो ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2	निजी सहायक	--	(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
3	सहायक	--	(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, लिपिक या आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
4	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी अथवा 10+2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iv) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रतिमिनट	(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव ; (ii) दसवीं तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन में परीक्षा पास करनी अपेक्षित है ; (iv) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।

		की गति से उसका प्रतिलेखन।	
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक।	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी या 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iv) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	(i) आशुटंकक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसके प्रतिलेखन में परीक्षा पास करना अपेक्षित है ; (iv) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसके प्रतिलेखन परीक्षा पास करना अपेक्षित है।
6	आशुटंकक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी अथवा 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ; (iii) 64 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iv) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि	(i) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 64 शब्द प्रतिमिनट की तथा 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से कमशः हिन्दी तथा अंग्रेजी में आशुटंकण तथा कमशः 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से एवं 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसके प्रतिलेखन की परीक्षा पास करना अपेक्षिति है।

		और 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	
7	लिपिक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी अथवा 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी : नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर कमशः 25 या 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास करना अपेक्षित है अन्यथा जब तक वह टाईप टैस्ट पास नहीं करता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।	(i) मैट्रिक पास ; (ii) रैस्टोरर के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव ; (iii) सेवादार, चौकीदार, स्वीपर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी : नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर कमशः 25 या 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास करना अपेक्षित है अन्यथा जब तक वह टाईप टैस्ट पास नहीं करता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।
8	रैस्टोरर		(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानता हो ; (ii) सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्त्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

कम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरुप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1 2 3 4 5 6 7 8	उप–अधीक्षक निजी सहायक सहायक वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक आशुटंकक लिपिक रैस्टोरर	निदेशक	1. छोटी शास्तियां (i) वैव्यक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी कंपनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास हैं या संसद या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण	निदेशक	सरकार	--

			या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि की पूरी, या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना। 2. बड़ी शास्तियां (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त आदेशों सहित की क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था ; पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसको ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड,	निदेशक	सरकार	--

			पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ; (ix) अनिवार्य सेवा निवृति ; (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।			

परिशिष्ट घ [देखिए नियम 14(2)]					
क्रम संख्या	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5 6 7 8	उप–अधीक्षक निजी अधीक्षक सहायक वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक आशुटंकक लिपिक रैस्टोरर	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक	सरकार	--

नसीम अहमद,
सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्यान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 13th July, 1998

No. G.S.R. 9/Const./Art. 309/98.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes by the following rules regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Subordinate Horticulture Directorate Ministerial Staff (Group C) Service, namely :--

PART I-GENERAL

Short title :

22. These rules may be called the Haryana Subordinate Horticulture Directorate Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998.

Definitions :

23. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(h) "Commission" means the Staff Selection Commission, Haryana ;

(i) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;

(j) "Director" means the Director of Horticulture Haryana ;

(k) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(l) "institution" means, --

(iii) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(iv) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules ;

(m) "recognised University" means, --

(iv) any university incorporated by law in India ; or

(v) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(vi) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;

(n) "Service" means the Haryana Horticultural Directorate Ministerial Staff (Group C) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts :

24. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service :

25.(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is, --

(f) a citizen of India ; or

(g) a subject of Nepal ; or

(h) a subject of Bhutan ; or

(i) a Tibtan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(j) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

Age :

26. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty five years of age on the last date of submission of application to the Commissioner any recruiting authority.

Appointing authority :

27. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications :

28. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience as specified in column 3 of Appendix ‘B’ to these rules in the case of direct recruitment, and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointed other than by direct recruitment :

Provided that in case of appointment by direct recruitment the qualifications regarding experience shall be relaxable to the the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualification :

29.No person, --

(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(d) who, having a spouse living, has entered into or or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment :

30.(1) Recruitment to the service shall be made—

(g) in the case of Deputy Superintendent,--

 (i) by promotion from amongst Assistants, Senior Scale Stenographers ; or

 (ii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India ;

(h) in the case of Personal Assistant,--

 (i) by promotion from amongst Senior Scale Stenographers ; or

 (ii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India ;

(i) in the case of Assistant,--

 (i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers, Steno-typists or clerks; or

 (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(j) in the case of Senior Scale Stenographer,--

 (i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers ; or

 (ii) by direct recruitment ; or

 (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(k) in the case of Junior Scale Stenographers,--

 (i) by promotion from amongst Steno-Typists ; or

 (ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(l) in the case of Steno-Typist,--

(i) by promotion from amongst Clerks ; or

(ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State or the Government of India ;

(m) in the case of Clerk,--

(i) 20% by promotion from amongst Restorers, Peons, Chowkidars and Sweepers of the Directorate; and

(ii) 80% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India ;

Note : The post of Clerk involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than those of Restorers;

(n) in the case of Restorer,--

(i) by promotion from amongst Peons, Chowkidars and Sweepers; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India :

(2) When any vacancy occurs or is about to occur in the Service, the appointing authority shall unless otherwise specifically provided for in these rules, determine as to in what manner such vacancy shall be filled-in.

(3) All promotions shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation :

31.(1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that, --

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) if, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment:--

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, --

(c) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory,--

(iv) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(v) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(vi) declare that he has completed his probation period satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(d) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,--

(iii) Dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(iv) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

32. Seniority, inter se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

(e) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(f) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(g) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(h) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same the elder member shall be senior to the younger member.

Liability to serve :

33.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or out-side the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,--

(iv) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana;

(v) the Central Government or a company, in association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(vi) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any Organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, Pension and other matters :

34. In respect of Pay, Leave, Pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals :

35. (1) in matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or Clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination :

36. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated, as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

37. Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

38. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision :

39. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations :

40. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time.

Repeal and savings :

41. The Punjab Subordinate Agricultural Service Rules, 1933, and any other rules applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of Posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Deputy Superintendent	--	1	1	5500--175--8300--EB--175--9000
2.	Personal Assistant	--	1	1	5500--175--8300--EB--175--9000 + 150 Special Pay.
3.	Assistant	--	7	7	5000--150--7100--EB--150--7850
4.	Senior Scale Stenographer	--	1	1	5000--150--7100--EB--150--7850
5.	Junior Scale Stenographer	--	2	2	4000--100--4800--EB--100--6000
6.	Steno-Typist	--	4	4	3050--75--3950--EB--80--4590+100 Special Pay.
7.	Clerk	--	8	8	3050--75--3950--EB--80--4590
8.	Restorer	--	2	2	3050--75--3950--EB--80--4590

APPENDIX B (See rule 7)			
Sr. No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Deputy Superintendent	--	(i) Eight years experience as Assistant, or Senior Scale Stenographer which should include a minimum of 2 years working as Assistant in the Service; (ii) Hindi upto Matric.
2	Personal Assistant		(i) Five years experience as Senior Scale Stenographer; (ii) Hindi upto Matric.
3	Assistant		(i) Five years experience as Junior Scale Stenographer, Steno-Typist, Clerk; (ii) Hindi upto Matric.
4	Senior Scale Stenographer	(i) Matric Ist Division or 10+2 Vocational 2nd Division or Graduate its equivalent ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard; (iii) Speed in Hindi Shorthand at 80 words per minutes and transcription thereof at 15 words per minutes; (iv) Speed in English Shorthand at 100 words per minutes and transcription thereof 20 words per	(i) Two years experience as Junior Scale Stenographer; (ii) Hindi upto Matric; (iii) Required to pass Stenography test in Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; (iv) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.

		minute.	
5	Junior Scale Stenographer	(i) Matric Ist Division or Vocational 2nd Division or Graduate or its equivalent; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; (iii) Speed in Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; (iv) Speed in English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.	(i) Two years experience as Steno-Typist; (ii) Hindi upto Matric; (iii) required to pass Stenography test in Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; (iv) required to pass Stenography test in English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.
6	Steno-Typist	(i) Matric Ist Division or 10+2 vocational 2nd Division or Graduate or its equivalent; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; (iii) Speed in Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; (iv) Speed in English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.	(i) Two years experience as Clerk; (ii) Hindi upto Matric; (iii) required to pass Stenography test in Hindi and English at a speed of 64 words per minute and 80 words per minute respectively and transcription thereof at 15 words per minute and 20 words per minute respectively.
7	Clerk	(i) Matric Ist Division or 10+2 vocational 2nd Division or Graduate or its equivalent;	(i) Five years experience as Restorer, Peons, Chowkidars and Sweepers. Passed Matriculation

		(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. *Note.*--Required to qualify a test of Hindi or English typing at a speed of 25 or 30 w.p.m. within a period of 1 year respectively from the date of such appointment otherwise he will not be granted annual increment till he passes the said test.	examination. (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard. *Note.*--Required to qualify a test of Hindi or English typing at a speed of 25 or 30 w.p.m. within a period of one year respectively from the date of such appointment otherwise he will not be granted annual increment till he passes the said test.
8	Restorer	--	(i) Knowledge of Hindi and English; (ii) Five years experience as Peon, Chowkidar and Sweeper.

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second & final appellate authority if any
1	2	3	4	5	6	7
1 2 3 4 5 6 7 8	Deputy Superintendent Personal Assistant Assistant Senior Scale Stenographer Junior Scale Stenographer Steno-Typist Clerk Restorer	Director	1. Minor Penalties : (i) Warning with a copy in the personal file, (Character roll). (ii) Censure : (iii) with-holding of promotion ; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to Central Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set-up by an Act of Parliament or of the Legislature of the State ; and (v) with holding of increments of pay without cumulative effect ; **(2) Major Penalties :** (vi) with holding of increments of pay with cumulative effect ; (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with	Director	Government	

			further directions as to whether or not, the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the further increments of his pay ; (viii) reduction to lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions of regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such, restoration to that grade, post or service ; (ix) compulsory retirement : (x) removal from service which shall not be disqualification for future employment under the Government ; (xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority

					if any
1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5 6 7 8	Deputy Superintendent Personal Assistant Assistant Senior Scale Stenographer Junior Scale Stenographer Steno-Typist Clerk Restorer	(i) reducing or with holding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules govering pension ; (ii) terminating the appointment of member of service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Government	

NASEEM AHMED,
Secretary to Government of Haryana,
Horticulture Department.

हरियाणा सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जुलाई, 1998

संख्या सा.का.नि.9/संविधान/अनुच्छेद/309/98.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अधीनस्थ उद्यान निदेशालय, लिपिकीय अमला (ग्रुप–ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती ओर सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

भाग I -- सामान्य

संक्षिप्त नाम :

9. ये नियम हरियाणा अधीनस्थ उद्यान निदेशालय लिपिकीय अमला (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं :

10. इन नियमों, में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा ;

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक, उद्यान विभाग, हरियाणा ;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(xi) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(xii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) ''मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,--

(xvi) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(xvii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरुप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र (डिप्लोमा), या प्रमाण–पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(xviii)कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ; और

(छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा अधीनस्थ उद्यान निदेशालय लिपिकीय अमला (ग्रुप–ग) सेवा।

भाग II--सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुप :

11. सेवा में इन नियमों परिशिष्ट 'क' में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र :

12. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो, –

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से, चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अनय जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम अथवा पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक, द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर, पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्ग में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुभव बाते उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिए जायेंगे।

अयोग्यताएं :

8. कोई भी व्यक्ति;--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ;

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :--

(क) उप–अधीक्षक की दशा में,--

(v) सहायकों या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
(vi) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) निजी सहायक की दशा में,--

(viii) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
(ix) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ग) सहायक की दशा में,--

(iii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, लिपिकों, आशुटंककों, में से पदोन्नति द्वारा ; या
(iv) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(घ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,--

(iv) कनिष्ठ आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(v) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(vi) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ङ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,--

(iv) आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(v) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(vi) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(च) आशुटंकक की दशा में,--

(iv) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(v) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(vi) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(छ) लिपिक की दशा में,--

(iv) 20 प्रतिशत निदेशालय के रैस्टोररों, सेवादारों, चौकीदारों तथा सफाई कर्त्ताओं में से पदोन्नति द्वारा ; और

(v) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(vi) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पणी–1 :

लिपिक पद के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व रैस्टोरर से अधिक महत्व के हैं।

(ज) रैस्टोरर की दशा में,--

(iii) सेवादारों, चौकीदारों तथा सफाई कर्त्ताओं में से पदोन्नति द्वारा ; या

(iv) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) जब सेवा में कोई रिक्ति होती है या हाने वाली हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाये यह निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जायेगी।

(3) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्य या अपेक्षित न हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही एसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु ;--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरुप या, उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रुप में गिनी जायेगी, किन्तु इस पकार स्थानापन्न रुप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--

(xi) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(xii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्यवाही कर सकता है उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,--

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,--

(xvi) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(xvii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(xviii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण, उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--

(xi) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं स अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करें ; या

(xii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग रूप से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता कम भग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निश्चित की जायेगी,--

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, यदि उनके सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को, सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,--

(xvi) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाह वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय;

(xvii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(xviii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर–सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निदिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले :

13. छुट्टी, वेतन, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रिंत होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियों और अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर यथासंशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसे शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वह होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप–नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति यथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां तक सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्धः

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझें, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति :

20. पंजाब अधीन कृषि सेवा नियम, 1933 और सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसो के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कारवाई इन नियमों के अनुरुप उपबंधों के अधीन किया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)					
कम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	उप–अधीक्षक	--	1	1	5500--175--8300--दक्षतारोध--175--9000 रुपए।
2	निजी सहायक	--	1	1	5500--175--8300--दक्षतारोध--175--9000 रुपए जमा 150 रूपए विशेष वेतन।
3	सहायक	--	7	7	5500--150--7100--दक्षतारोध--150--7850 रुपए।
4	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	--	1	1	5500--150--7100--दक्षतारोध--150--7850 रुपए।
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	--	2	2	4000--100--4800--दक्षतारोध--100--6000 रुपए।
6	आशुटंकक	--	4	4	3050--75--3950--दक्षतारोध--80--4590 रुपए जमा 100 रूपए विशेष वेतन।
7	लिपिक	--	8	8	3050--75--3950--दक्षतारोध--80--4590 रुपए।
8	रैस्टोरर	--	2	2	3050--75--3950--दक्षतारोध--80--4590 रुपए।

परिशिष्ट ख (देखिए नियम 7)			
कम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव,

		कोई हो	यदि कोई हो
1	2	3	4
1	उप–अधीक्षक	--	(i) सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव, जिसमें सहायक के पद पर दो वर्ष का कार्य शामिल हो ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2	निजी सहायक	--	(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
3	सहायक	--	(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, लिपिक या आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
4	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी अथवा 10+2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iv) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रतिमिनट	(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव ; (ii) दसवीं तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन में परीक्षा पास करनी अपेक्षित है ; (iv) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।

		की गति से उसका प्रतिलेखन।	
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक।	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी या 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iv) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	(i) आशुटंकक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसके प्रतिलेखन में परीक्षा पास करना अपेक्षित है ; (iv) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसके प्रतिलेखन परीक्षा पास करना अपेक्षित है।
6	आशुटंकक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी अथवा 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ; (iii) 64 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iv) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि	(i) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) 64 शब्द प्रतिमिनट की तथा 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से कमशः हिन्दी तथा अंग्रेजी में आशुटंकण तथा कमशः 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से एवं 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसके प्रतिलेखन की परीक्षा पास करना अपेक्षिति है।

		और 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	
7	लिपिक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी अथवा 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक अथवा इसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी : नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर कमशः 25 या 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास करना अपेक्षित है अन्यथा जब तक वह टाईप टैस्ट पास नहीं करता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।	(i) मैट्रिक पास ; (ii) रैस्टोरर के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव ; (iii) सेवादार, चाकीदार, स्वीपर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी : नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर कमशः 25 या 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास करना अपेक्षित है अन्यथा जब तक वह टाईप टैस्ट पास नहीं करता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।
8	रैस्टोरर		(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानता हो ; (ii) सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्त्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

कम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरुप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1 2 3 4 5 6 7 8	उप–अधीक्षक निजी सहायक सहायक वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक आशुटंकक लिपिक रैस्टोरर	निदेशक	1. छोटी शास्तियां (i) वैव्यक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी कंपनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास हैं या संसद या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण	निदेशक	सरकार	--

			या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि की पूरी, या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना। 2. बड़ी शास्तियां (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त आदेशों सहित की क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था ; पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड,	निदेशक	सरकार	--

			पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ; (ix) अनिवार्य सेवा निवृति ; (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।			

परिशिष्ट घ
[देखिए नियम 14(2)]

कम संख्या	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5 6 7 8	उप–अधीक्षक निजी अधीक्षक सहायक वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक आशुटंकक लिपिक रैस्टोरर	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक	सरकार	--

नसीम अहमद,
सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्यान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 13th July, 1998

No. G.S.R. 9/Const./Art. 309/98.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes by the following rules regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Subordinate Horticulture Directorate Ministerial Staff (Group C) Service, namely :--

PART I-GENERAL

Short title :

42. These rules may be called the Haryana Subordinate Horticulture Directorate Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998.

Definitions :

43. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(o) "Commission" means the Staff Selection Commission, Haryana ;

(p) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;

(q) "Director" means the Director of Horticulture Haryana ;

(r) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(s) "institution" means, --

(v) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(vi) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules ;

(t) "recognised University" means, --

(vii) any university incorporated by law in India ; or

(viii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(ix) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;

(u) "Service" means the Haryana Horticultural Directorate Ministerial Staff (Group C) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts :

44.The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service :

45.(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is, --

(k) a citizen of India ; or

(l) a subject of Nepal ; or

(m) a subject of Bhutan ; or

(n) a Tibtan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(o) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

Age :

46. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty five years of age on the last date of submission of application to the Commissioner any recruiting authority.

Appointing authority :

47. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications :

48. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience as specified in column 3 of Appendix 'B' to these rules in the case of direct recruitment, and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointed other than by direct recruitment :

Provided that in case of appointment by direct recruitment the qualifications regarding experience shall be relaxable to the the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualification :

49.No person, --

(e) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(f) who, having a spouse living, has entered into or or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment :

50.(1) Recruitment to the service shall be made—

(o) in the case of Deputy Superintendent,--

(iii) by promotion from amongst Assistants, Senior Scale Stenographers ; or

(iv) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India ;

(p) in the case of Personal Assistant,--

(iii) by promotion from amongst Senior Scale Stenographers ; or

(iv) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India ;

(q) in the case of Assistant,--

(iii) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers, Steno-typists or clerks; or

(iv) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(r) in the case of Senior Scale Stenographer,--

(iv) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers ; or

(v) by direct recruitment ; or

(vi) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(s) in the case of Junior Scale Stenographers,--

(iv) by promotion from amongst Steno-Typists ; or

(v) by direct recruitment ; or

(vi) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(t) in the case of Steno-Typist,--

(iv) by promotion from amongst Clerks ; or

(v) by direct recruitment ; or

(vi) by transfer or deputation of an official already in the service of any State or the Government of India ;

(u) in the case of Clerk,--

(iv) 20% by promotion from amongst Restorers, Peons, Chowkidars and Sweepers of the Directorate; and

(v) 80% by direct recruitment ; or

(vi) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India ;

Note : The post of Clerk involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than those of Restorers;

(v) in the case of Restorer,--

(iii) by promotion from amongst Peons, Chowkidars and Sweepers; or

(iv) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India :

(2) When any vacancy occurs or is about to occur in the Service, the appointing authority shall unless otherwise specifically provided for in these rules, determine as to in what manner such vacancy shall be filled-in.

(3) All promotions shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation :

51.(1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that, --

(d) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(e) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(f) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) if, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(c) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and

(d) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment:--

(iii) revert him to his former post ; or

(iv) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, --

(e) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory,--

(vii) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(viii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(ix) declare that he has completed his probation period satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(f) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,--

(v) Dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(vi) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

52. Seniority, inter se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

(i) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(j) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(k) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(l) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same the elder member shall be senior to the younger member.

Liability to serve :

53.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or out-side the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,--

(vii) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana;

(viii) the Central Government or a company, in association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(ix) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any Organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, Pension and other matters :

54. In respect of Pay, Leave, Pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals :

55. (1) in matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or Clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination :

56. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated, as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

57. Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

58. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision :

59. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations :

60. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time.

Repeal and savings :

61. The Punjab Subordinate Agricultural Service Rules, 1933, and any other rules applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of Posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Deputy Superintendent	--	1	1	5500--175--8300--EB--175--9000
2.	Personal Assistant	--	1	1	5500--175--8300--EB--175--9000 + 150 Special Pay.
3.	Assistant	--	7	7	5000--150--7100--EB--150--7850
4.	Senior Scale Stenographer	--	1	1	5000--150--7100--EB--150--7850
5.	Junior Scale Stenographer	--	2	2	4000--100--4800--EB--100--6000
6.	Steno-Typist	--	4	4	3050--75--3950--EB--80--4590+100 Special Pay.
7.	Clerk	--	8	8	3050--75--3950--EB--80--4590
8.	Restorer	--	2	2	3050--75--3950--EB--80--4590

APPENDIX B (See rule 7)			
Sr. No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Deputy Superintendent	--	(iii) Eight years experience as Assistant, or Senior Scale Stenographer which should include a minimum of 2 years working as Assistant in the Service; (iv) Hindi upto Matric.
2	Personal Assistant		(iii) Five years experience as Senior Scale Stenographer; (iv) Hindi upto Matric.
3	Assistant		(iii) Five years experience as Junior Scale Stenographer, Steno-Typist, Clerk; (iv) Hindi upto Matric.
4	Senior Scale Stenographer	(v) Matric Ist Division or 10+2 Vocational 2nd Division or Graduate its equivalent ; (vi) Knowledge of Hindi upto Matric Standard; (vii) Speed in Hindi Shorthand at 80 words per minutes and transcription thereof at 15 words per minutes; (viii) Speed in English Shorthand at 100 words per minutes and transcription thereof	(v) Two years experience as Junior Scale Stenographer; (vi) Hindi upto Matric; (vii) Required to pass Stenography test in Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; (viii) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.

		20 words per minute.	
5	Junior Scale Stenographer	(v) Matric Ist Division or Vocational 2nd Division or Graduate or its equivalent; (vi) Knowledge of Hindi upto Matric standard; (vii) Speed in Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; (viii) Speed in English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.	(v) Two years experience as Steno-Typist; (vi) Hindi upto Matric; (vii) required to pass Stenography test in Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; (viii) required to pass Stenography test in English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.
6	Steno-Typist	(v) Matric Ist Division or 10+2 vocational 2nd Division or Graduate or its equivalent; (vi) Knowledge of Hindi upto Matric standard; (vii) Speed in Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; (viii) Speed in English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.	(iv) Two years experience as Clerk; (v) Hindi upto Matric; (vi) required to pass Stenography test in Hindi and English at a speed of 64 words per minute and 80 words per minute respectively and transcription thereof at 15 words per minute and 20 words per minute respectively.
7	Clerk	(iii) Matric Ist Division or 10+2 vocational 2nd Division or Graduate or its	(iii) Five years experience as Restorer, Peons, Chowkidars and Sweepers. Passed

		equivalent; (iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard. *Note.*--Required to qualify a test of Hindi or English typing at a speed of 25 or 30 w.p.m. within a period of 1 year respectively from the date of such appointment otherwise he will not be granted annual increment till he passes the said test.	Matriculation examination. (iv) Knowledge of Hindi upto Matric Standard. *Note.*--Required to qualify a test of Hindi or English typing at a speed of 25 or 30 w.p.m. within a period of one year respectively from the date of such appointment otherwise he will not be granted annual increment till he passes the said test.
8	Restorer	--	(iii) Knowledge of Hindi and English; (iv) Five years experience as Peon, Chowkidar and Sweeper.

APPENDIX C [See rule 14(1)]						
Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second & final appellate authority if any
1	2	3	4	5	6	7
1 2 3 4 5 6 7 8	Deputy Superintendent Personal Assistant Assistant Senior Scale Stenographer Junior Scale Stenographer Steno-Typist Clerk Restorer	Director	2. Minor Penalties : (i) Warning with a copy in the personal file, (Character roll). (ii) Censure : (iii) with-holding of promotion ; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to Central Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set-up by an Act of Parliament or of the Legislature of the State ; and (v) with holding of increments of pay without cumulative effect ; **(2) Major Penalties :** (vi) with holding of increments of pay with cumulative effect ; (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with	Director	Government	

			further directions as to whether or not, the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the further increments of his pay ; (viii) reduction to lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions of regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such, restoration to that grade, post or service ; (ix) compulsory retirement : (x) removal from service which shall not be disqualification for future employment under the Government ; (xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority

					if any
1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5 6 7 8	Deputy Superintendent Personal Assistant Assistant Senior Scale Stenographer Junior Scale Stenographer Steno-Typist Clerk Restorer	(iii) reducing or with holding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules govering pension ; (iv) terminating the appointment of member of service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Government	

NASEEM AHMED,
Secretary to Government of Haryana,
Horticulture Department.

हरियाणा सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर, 2013

संख्या सा.का.नि.52/संवि0/अनु0 309/2013.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

13. ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (ग्रुप–ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।

14. हरियाणा उद्यान विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद निम्नलिखित नियम कहा जायेगा, अर्थात्:–

"9क.– (1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रिस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपिक परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवोक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन राज्य में पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरूद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गए हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथा विहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप–नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यकम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय–समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यकम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य ऐजंसी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण–पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यकम में केवल वर्डप्रोसैसिंग, इन्टरनैट बराउजिंग तथा ई–मेल मनेजमैन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड, चूंकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशनन तथा एप्लिकेषन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है:–

(i) एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यताप्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटैकनिक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) (पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण–पत्र;

(iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सीज) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण–पत्र (एचएससीआईटी);

(iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैद्य माना जाएगा; तथा

(v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अथात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन, पॅरैलाइसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नॅःव पॉःल्जि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नॅःवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशॅन डिजेनॅरॅटिव डिस्ऑःड्अॅ जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप–पैरा (अ) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा''

15. उक्त नियमों में परिशिष्ट ख में,–

I. कम संख्या 3 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

''(i) 10+2;'';

II. कम संख्या 4 के सामने,–

(क) खाना 3 के नीचे, विधमान मद (i) तथा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(i) 10+2;''; तथा

''(iii) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप कर दिया गया। तथापि भूतपूर्व सैनिक जो 45 वर्ष की आयु या उसके बाद सेवा में प्रवेश करेंगे को टैस्ट से छूट होगी।'';

(ख) खाना 4 के नीचे ''पदोन्नति द्वारा'' शीर्ष के नीचे मद (i), (iv) तथा (v) के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(i) 10+2;''; तथा

''(iv) निदेशक द्वारा ली जाने वाली 10+2 स्तर की हिन्दी और अंग्रेजी में परीक्षा पास करनी होगी; तथा

(v) नियम 9 क के दृष्टिगत लाप कर दिया गया

(2) ''स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा'' शीर्ष के नीचे प्रविष्टि (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''(iii) निदेशक द्वारा ली जाने वाली 10+2 स्तर की हिन्दी और अंग्रेजी में परीक्षा पास करनी होगी।''।

रोशन लाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्यान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 52/Const./Art.309/2013.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana makes the following rules further to amend the Haryana Horticulture Department, Subordinate Offices, Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998, namely :--

62. These rules may be called the Haryana Horticulture Department Subordinate Offices, Ministerial Categories (Group C) Service (Amendment) Rules, 2013.

63. In the Haryana Horticulture Department Subordinate Offices, Ministerial Staff (Group C) Services Rules, 1998 (hereinafter referred to the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:-

"9A. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as

required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typist shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be

accepted as an evidence of the fulfillment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC):-

(i) M.Tech/B.Tech. (Computers), M.C.A., B.C.A. or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;

(ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];

(iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorised Learning Centres (ALCs) of the HKCL;

(iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of five years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and

(v) Physically disable candidates i.e. amputation of hand (left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).".

64. In the said rules, in Appendix B,-

I. against serial number 3, under column 3, for existing item (i), the following item shall be substituted, namely:-

"(i) 10+2;";

II. against serial number 4,-

(A) under column 3, for existing item (i) and (iii) and (iv) the following item shall be substituted, namely:-

"(i) 10+2;"; and

"(iii) omitted in view of rule 9 A. However, Ex-serviceman, who enter the service at or after the age of 45 years shall be exempted from this test'';

(B) Under Column 4-

(i) Under heading "By promotion", for existing item (i), (iv) and (v), and following items shall be substituted, namely:-

"(i) 10+2;"; and

"(iv) Required to qualify test in Hindi and English of

10+2 level to be held by Director;"; and

"(v) Omitted in view of rule 9A."

(2) Under heading "by Transfer or Deputation" for entry

(iii) following entry shall be substituted, namely

(iii) Required to qualify test in Hindi and English of 10+2 level to be held by Director.".

ROSHAN LAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Horticulture Department.